fo"k; lwph | lEikndh; | कमल संदेश

आतंकवाद

पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई. 5
अंतुले प्रकरण........................... 6

लेख

कब लड़ पाएंगे घर के शत्रुओं से
तवलीन सिंह.................... 8
भारतीय राजनीति के अटल गौरव
प्रभात झा.......................... 10
भाजपा की गौरवशाली यात्रा
नरेन्द्र सिंह तोमर............ 12
समाज को बांटने पर तुले अंतुले
फिरोज बख़्त अहमद........ 16

शपथ ग्रहण समारोह

मध्यप्रदेश.................................. 11
छत्तीसगढ़................................. 14

संसद में बहस

लालकृष्ण आडवाणी.................. 17
अरुण जेटली........................... 21

श्रद्धांजलि

बाबा साहब नातू का निधन.... 25
वेद प्रकाश गोयल नहीं रहे.... 30

सम्पादक
çHkkr >k] lkaln
सम्पादक मंडल
lR;iky
d- d- 'kekZ
lathn dqekj flUgk
jkeu;u flag
पृष्ठ संयोजन
/keZsUæ dkS'ky
सम्पर्क
Mk- eqdthZ Lef`r U;kl
ihih&66] lqcze.;e Hkkjrh ekxZ
ubZ fnYyh&110003
Qksu ua- +91¼11½&23381428
QSDl % +91¼11½&23387887
सदस्यता शुल्क
okf"kZd 100#- | f=okf"kZd 250#-
e-mail address
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डा. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। : सम्पादक – प्रभात झा

प्रियमुक्तं हितं नैतदिति मत्वा न तद्वदेत।
श्रेयस्तत्र हितं वाच्यं यद्यप्यत्यन्तमप्रियम।।
– विष्णु पुराण (3/12/44)

vFkZ %& fiz; gksus ij Hkh tks fgrdj u gks] mls u dgsA fgrdj dguk gh vPNk gS pkgs og vR;Ur vfiz; gksA

भाजपा ने दोहराया पहले देश, तब दल

आतंकवाद से निपटने के लिए एनडीए सरकार ने पोटा कानून बनाया था। एनडीए ने इसे राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बनाया था। आतंकवादियों के मन में भय पैदा हो, इसलिए बनाया था। जब पोटा कानून बना था तब कांग्रेसनीत यूपीए के घटक दलों ने कभी विरोध नहीं किया क्योंकि यह कानून देशहित के लिए बना था। पर भारत की राजनीति में अक्सर ऐसा होता रहा है कि अच्छी से अच्छी नीतियां सत्ता में रहते हुए किसी दल ने बनाई हैं तो विरोध में बैठे लोग उसका स्वतः विरोध करने लगते हैं पर विपक्ष की सरकार आती है तो उन नीतियों की घोषणाओं को समाप्त कर देती है। कांग्रेसनीत यूपीए जब सत्ता में आयी तो पोटा कानून के साथ उन्होंने यही किया। चुनाव से पूर्व यूपीए ने लिखा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो पोटा हटाएंगे। यूपीए की इस घोषणा के साथ ही लगा कि सत्ता में यूपीए आएगी तो आतंकवादियों के साथ लचर व्यवहार करेगी। पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। पोटा कानून को यूपीए ने जनता के बीच जाकर अल्पसंख्यक विरोधी कानून बताया और इसका उपयोग उन्होंने चुनाव में किया। यह भारतीय राजनीति की शर्मनाक घटना थी। पोटा आतंकवादियों के विरूद्ध था, न कि मुस्लिमों के खिलाफ, पोटा मुजरिमों के खिलाफ था न कि मुस्लिमों के खिलाफ। लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए यूपीए ने पोटा जैसे कठोर कानून का भी राजनीतिक लाभ लिया। पोटा को वोट की तराजू पर तौलने की यह नीति घातक साबित हुयी। यूपीए ने सत्ता में आते ही पोटा कानून समाप्त किया। आतंकवादियों को लगा कि कांग्रेसनीत यूपीए सिर्फ कहती नहीं बल्कि आतंकवादियों के विरूद्ध पोटा हटाकर यह संकेत भी दे दिया कि वह आतंकवाद को लेकर नरम रूख रखेगी; यहीं से हौसला बुलंद हुआ आतंकवादियों का।

कांग्रेसनीत यूपीए शासन के 4 वर्ष 7 महीने में सदन में कोई सत्र ऐसा नहीं गया जब भाजपा ने आतंकवाद को लेकर चिंता प्रकट करते हुए यह नहीं कहा हो कि पोटा कानून लागू करो। भाजपा के लालकृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह, भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने एक नहीं अनेक बार कहा कि पोटा शब्द से यूपीए के मित्रों को कोई एलर्जी हो तो दूसरा नाम रख लें, पर आतंकवादियों के विरूद्ध देशहित में कोई कड़ा कानून जरूर बनाए। दुर्भाग्य से वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस नीत यूपीए ने भाजपा की बात को गंभीरता से न लेते हुए यह कहा कि भाजपा अल्पसंख्यक विरोधी है। यूपीए आतंकवाद जैसे गंभीर मसले की सदैव अनदेखी करती रही। देश में एक नहीं अनेक राज्यों में बमों के धमाके बार–बार यह संदेश देते रहे कि पोटा कानून राष्ट्र की आवश्यकता है, पोटा कानून आम जनता की जिंदगी के लिए आवश्यक है, पर कांग्रेसनीत यूपीए ने एक नहीं सुनी। निरीह नागरिकों के खून से लथपथ शरीर और उनके आहत परिजनों के चीत्कार से भी यूपीए सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी। जब 59 घंटे 10 आतंकवादियों ने ताज होटल नहीं भारत के ताज पर हमला किया तो यूपीए सरकार के कान पर जूं रेंगी। और यूपीए ने उसके बाद कहना शुरू किया

कि देश में आतंकवाद के विरूद्ध कठोर कानून की आवश्यकता है। तत्कालीन गृहमंत्री से इस्तीफा लिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बलि ली गई। काश! वर्षों से भाजपा द्वारा पोटा कानून लागू करने की मांग पूर्व में राजनीति से ऊपर उठकर यूपीए सरकार मान लेती तो कम से कम आतंकवादियों के हौसले बुलंद न हुये होते कि वो भारत को 59 घंटे तक बंधक बना लेते। पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने मुक्त कंठ से यह कहा कि सरकार आतंकवादी गतिविधि के विरोध में जो कदम उठाएगी, भाजपा उसके साथ है। राजनीतिक उदारता का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है।

सत्ता परिवर्तन का यह मतलब नहीं होता कि पिछली सरकार ने जो निर्णय या नीतियां जनहित में लिए हैं, उन्हें राजनीति से प्रेरित होकर समाप्त कर दिया जाय। काश भारत में ऐसी राजनीतिक उदारता सभी दल अपना लेते। प्रधानमंत्री ने बैठक बुलायी। भाजपा ने वहां पर भी अपनी बात दोहरायी और कहा सरकार के साथ भाजपा चट्टान की तरह खड़ी है। सदन में आडवाणीजी ने आतंकवादी विरोधी कानून को लेकर जिस तरह विषय रखा, उसको सभी दलों ने मुक्त कंठ से सराहा। भाजपा सदैव से कहती रही है पहले देश फिर दल। हैरानी की बात यह है कि यूपीए को गत 4 साल 7 माह में सैकड़ों आतंकवादी घटनाएं होने के बाद यह बात समझ में आयी, जो बात देश का आम नागरिक वर्षों से समझ रहा था।

आतंकवाद न दलीय मुद्दा है न राजनीति का, इसकी न कोई जाति है न कोई जमात। यह अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और भारत इससे सर्वाधिक आहत है। अतः इसके खिलाफ एक–एक भारतीय को खड़ा होना होगा। ■

दिल्ली

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा बने विपक्ष के नेता

दिल्ली भाजपा विधायक दल की 17 दिसम्बर 2008 को हुई पहली बैठक में प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा को दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया। ग्रेटर कैलाश विधानसभा से निर्वाचित प्रो. मल्होत्रा इससे पूर्व लोकसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता थे, भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित किया था।

दिल्ली के पुराने सचिवालय में भाजपा विधायकों की पहली बैठक में नेता प्रतिपक्ष के लिए प्रो. मल्होत्रा के नाम का प्रस्ताव प्रो. जगदीश मुखी ने रखा तथा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक डा. हर्षवर्धन ने उनके नाम का समर्थन किया। बैठक में पार्टी के दिल्ली प्रभारी थावरचंद गहलोत भी उपस्थित थे। ■

राजस्थान

वसुंधरा राजे होंगी नेता प्रतिपक्ष

राजस्थान भाजपा विधायक दल की बैठक में औपचारिक रूप से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश माथुर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पूर्व गृहमंत्री गुलाबचंद्र कटारिया ने वसुंधरा राजे के नाम का प्रस्ताव रखा। इसका पूर्व मंत्री घनश्याम तिवाड़ी, नंदलाल मीणा देवीसिंह भाटी, हबीबुर्रहमान, राधेश्याम गंगानगर सहित कई विधायकों ने समर्थन किया। इस तरह सर्वसम्मति से वसुंधरा राजे का प्रतिपक्ष का नेता चुन गया। ■

शरद यादव एनडीए के कार्यवाह संयोजक नियुक्त

लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी ने 14 दिसम्बर को प्रेस वक्तव्य जारी कर कहा कि विगत अनेक वर्षों से श्री जार्ज फर्नांडीस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक के रूप में कार्य कर रहे थे। उन्होंने इस जिम्मेदारी का निर्वाह अत्यंत विशिष्ट ढंग से सम्पन्न किया। कुछ समय से श्री जार्ज का स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था।

उन्होंने कहा कि इस स्थिति में, मैंने एनडीए के सभी गठबंधन पार्टियों के साथ विचार विमर्श किया और यह तय पाया कि जेडी(यू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद यादव को एनडीए का कार्यवाह–संयोजक नियुक्त किया जाए। श्री यादव देश के जाने–माने नेता हैं जिनके पास लगभग 35 वर्षों का संसदीय कार्य करने का गहन अनुभव है। हमें स्मरण है कि वह जबलपुर से पहली बार जन–प्रतिनिधि के रूप में वर्ष 1974 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। साथ ही उनके पास भारत सरकार में एक वरिष्ठ मंत्री के रूप में सरकारी कामकाज करने का भी अच्छा अनुभव है, जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। इससे भी बड़ी बात यह है कि वे जमीनी स्तर से जुड़े एक महान राजनैतिक कार्यकर्ता है और उनके पास राजनैतिक गठबंधन के कामकाज संभालने का गहन अनुभव है।

श्री आडवाणी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि कार्यवाह संयोजक के रूप में उनकी नियुक्ति से और उनके गहन अनुभव के कारण एनडीए को और अधिक शक्तिशाली बनाने में मदद मिलेगी। ■

पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई की आवश्यकता : राजनाथ सिंह

vkज देश के सामने आतंकवाद एक बड़ी भारी चुनौती बन कर खड़ा है। जब से वर्तमान सत्ताधारी सरकारों ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी घोर निष्क्रियता दिखलाई है तब से इसके बारे में आक्रोश और गुस्से का भाव बढ़ता ही जा रहा है।

मुम्बई में जिस प्रकार का भयानक हमला किया गया, उसने देश में आतंकवाद के खिलाफ अभूतपूर्व माहौल खड़ा कर दिया है और लोग चाहते हैं कि इस बढ़ते खतरे के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। राजनैतिक पार्टियों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर मानवता के खिलाफ इन अपराधों को करने वाले लोगों के खिलाफ की जाने वाली किसी भी कार्रवाई पर पूरी तरह से अपना समर्थन देने का वायदा किया है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत पर होने वाले लगभग सभी हमलों का सम्बंध सीमापार से जुड़ा होता है। अब यह एक ऐसा तथ्य बन गया है जिसे विश्व की सभी बड़ी शक्तियां, जैसे अमरीका और यूके भी स्वीकार करती हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री गोर्डन ब्राउन ने अभी हाल में कहा है कि यू.के. में जितने आतंकवादी हमले हुए हैं, उनमें से तीन–चौथाई हमलों में पाकिस्तान और अलकायदा का हाथ पाया गया है जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि विश्व के नेता इसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि विश्वभर में होने वाली आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान की ही सक्रिय भागीदारी रहती है।

हम यह भी जानते हैं कि मुम्बई हमलों में जिन आतंकवादियों ने भाग लिया, वे पाकिस्तान से आए थे और वे पाकिस्तानी नागरिक थे। उनकी राष्ट्रीयता का प्रमाण कई विदेशी समाचारों में प्रकाशित हुआ है और यहां तक कि पुलिस ने जिस आतंकवादी को पकड़ा है उसने पाकिस्तान सरकार को पत्र लिखा है कि वह पाकिस्तानी नागरिक है। परन्तु, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान सरकार अब भी मानने को तैयार नहीं है और वह भारत पर किए गए आतंकवादी हमले में शामिल लोगों और संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले और सबूत मांग रही है।

यहां तक कि पाकिस्तान सरकार ने जमात–उल–दावा पर यूएन सुरक्षा परिषद के प्रतिबंध को भी सही ढंग से कार्यान्वित नहीं किया है। विश्वसनीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पुलिस ने जिन जमात कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था, उन्हें भी सरकार ने रिहा कर दिया है और वे पाक–अधिकृत कश्मीर में खुले आम घूम रहे हैं।

इससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि पाकिस्तान के गृहमंत्री ने अपनी सभी चार प्रांतीय सरकारों को निर्देश दिया है कि वे मदरसों से कामकाज कर रहे जमात कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई न करें, जो निश्चित ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा इस संगठन पर लगाए गए प्रतिबंधों का खुला उल्लंघन है।

भाजपा मानती है कि पाकिस्तान भारत के साथ आतंक के साथ संघर्ष करने के मामले में सहयोग करने का इच्छुक नहीं है। पाकिस्तान ने इस देश पर हमला करने वाले किसी आतंकवादी की भूमिका के बारे में किसी भी पाकिस्तानी नागरिक से पूछताछ करने की इजाजत देने से मना कर दिया है क्योंकि वह जानता है कि ऐसा करने से आईएसआई के नापाक इरादों का भण्डाफोड हो जाएगा।

भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने तथा आतंकवादी हमलों में आईएसआई की सक्रिय भागीदारी के बारे में आईएसआई पर अन्तर्राष्ट्रीय निगरानी रखी जानी चाहिए।

जबसे भारत और पाकिस्तान 1947 में स्वतंत्र हुए हैं तब से आज तक पाकिस्तानी नागरिक का कोई भी ऐसा आपराधिक मामला नहीं रहा है जिसमें उसने भारत को पारस्परिक कानूनी सहायता दी हो– चाहे वह मामला आतंकवाद, लूटपाट, मादक औषधियों की तस्करी या फिर पशुओं को उठा ले जाने वाला हो। उसने लगभग 200 पाकिस्तानी नागरिकों को, जिन पर यूएस ने

...शेष पृष्ठ 30 पर

मुम्बई में जिस प्रकार का भयानक हमला किया गया, उसने देश में आतंकवाद के खिलाफ अभूतपूर्व माहौल खड़ा कर दिया है और लोग चाहते हैं कि इस बढ़ते खतरे के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। राजनैतिक पार्टियों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर मानवता के खिलाफ इन अपराधों को करने वाले लोगों के खिलाफ की जाने वाली किसी भी कार्रवाई पर पूरी तरह से अपना समर्थन देने का वायदा किया है।

वोट बैंक की राजनीति कर रही है कांग्रेस

संसदीय पार्टी की बैठक में लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी के भाषण के प्रमुख बिंदु

;ह हमारी संसदीय पार्टी की आखिरी बैठक है जो निश्चित ही 2009 लोकसभा चुनावों से पूर्व की आखिरी सत्र में आयोजित हुई है। मैं अपने सभी माननीय सदस्यों को क्रिसमस एवं नव वर्ष की शुभकामनाएं अग्रिम रूप से देना चाहता हूं। मेरी कामना है कि भारत के लिए नव वर्ष 2008 की तुलना में बेहतर समाचार लेकर आए। कुछ मामलों में संभवतः यह वर्ष देश के लिए कठिन वर्ष होगा। आर्थिक स्थिति पहले से बिगड़ी है और लगता है कि आगे भी बिगड़ती जाएगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी से प्रभावित हुई है। अर्थव्यवस्था की बदइंतजामी ने ऋणों के मामले में अकाल की स्थिति पैदा कर दी है। अतः बैंक पैसा नहीं देते हैं। व्यापार की गति धीमी है या बंद होने की स्थिति में पहुंच गई है। नौकरियों में छंटनी हो रही है। आय घटती जा रही है। और यह सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तो बढ़ रहीं हैं, परंतु मुद्रास्फीति सापेक्षतया नीचे की ओर जाती नजर आ रही है।

यूपीए सरकार के शासनकाल में बुनियादी ढांचे का विकास बुरी तरह से अवरूद्ध हुआ है। महात्वाकांक्षी राजमार्ग परियोजना सुस्त पड़ रही है। बिजली क्षेत्र का संकट जारी है। आवास और निर्माण कार्य उच्च ब्याज दरों के कारण लगभग ठप पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर समाप्त हो गए हैं। कृषि में, पहले से बेहतर वर्षा होने के बावजूद भी किसानों की बुनियादी समस्याएं ज्यों की त्यों खड़ी हैं।

संक्षेप में यूपीए सरकार आर्थिक मोर्चे पर निराशाजनक प्रदर्शन करते हुए समाप्त हो रही है। उसके शासन का प्रदर्शन–

vke vkneh ds lkFk fo'okl?kkr gSA

fdlku ds lkFk fo'okl?kkr gSA

ukStokuksa ds lkFk fo'okl?kkr gSA

सारांश में कुछ थोड़े से अमीरों को छोड़ कर आर्थिक और जीवनयापन की असुरक्षा निरंतर बढ़ती चली जा रही है।

भाजपा में कुछ थोड़े से अमीरों को छोड़ कर आर्थिक और जीवनयापन की असुरक्षा निरंतर बढ़ती चली जा रही है।

भाजपा को यूपीए सरकार की इन विश्वासघातों तथा विफलताओं का संदेश लोगों तक बड़े व्यापक तथा शक्तिशाली ढंग से पहुंचाना चाहिए, जिनके कारण आर्थिक और जीवनयापन असुरक्षा बढ़ती चली गई है।

मित्रों, आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार की विफलता का संबंध है, मुंबई पर 26/11 के भयानक हमलों के रूप में जिस तरह की नई स्थिति देश भर में पैदा हुई है, उसे ढंकने का प्रयास किया जा रहा है। मुंबई में हुई घटनाओं से पूरे भारतीय समाज में क्रोध और गुस्से की लहर फैल गई है।

आखिर लोगों की राय के दबाव में आकर कांग्रेस के नेतृत्व वाली इस सरकार को अपनी नींद से जागने पर मजबूर होना पड़ा है। अब इस सरकार ने पोटा को निरस्त करने के बाद तथा लगातार यह कहते रहने के बाद कि वर्तमान कानून ही आतंकवाद से निपटने के लिए काफी हैं, आतंक–विरोधी कानून की आवश्यकता पर यू–टर्न ले लिया है।

भाजपा ओर एनडीए ने नए आतंक–विरोधी कानूनों का इसलिए समर्थन किया क्योंकि हमारा मानना है कि भारत आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने में नर्म राज्य बन कर नहीं रह सकता है।

मैं चाहूंगा हमारे देशवासी 2002 में बनाए गए पोटा कानून की तुलना इन दो नए कानूनों को दिए गए भाजपा समर्थन को कांग्रेस पार्टी के वेाट–बैंक से प्रेरित किए गए विरोध के रूप में करें। इससे पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी दृढ़ विश्वास की सच्ची राष्ट्रवादी पार्टी है और कौन सी मजबूरी से काम करने वाली पार्टी है, इस प्रकार दोनों पार्टियों के बीच का अंतर स्पष्ट हो जाएगा।

भाजपा इस बात पर बड़ी सतर्कता से निगरानी रख रही है कि किस प्रकार से यूपीए सरकार (और कांग्रेस पार्टी) मुंबई में हुए आतंकी हमलों के बाद की स्थिति से निपट पाएंगे। भाजपा दो प्रकार की रणनीति बना कर चलेगी जिसमें 'सैद्धांतिक' और 'समय की आवश्यकता' दोनों का ध्यान रखा जाएगा।

जैसा मैंने पहले कहा, भाजपा सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ की गई किसी भी कड़ी कार्रवाई का समर्थन करेगी, क्योंकि पाकिस्तान मुंबई के आतंकी हमलों में रंगे हाथों पकड़ा गया है।

किंतु भाजपा 2004 के बाद से गत पांच वर्षों में आतंक के खतरे से निपटने के कांग्रेस पार्टी के अत्यंत दुखदायी रिकार्ड का भंडा फोड़ना जारी रखेगी। क्योंकि इसे मालूम था कि उसे क्या कुछ करना चाहिए, परंतु उसने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए कुछ नहीं किया।

पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले में भी, सरकार को पहले तो अपने उस मंत्री के विरूद्ध कड़ी और तुरंत कार्रवाई करने का परिचय देना होगा, जो महाराष्ट्र के शहीद एटीएस मुखिया हेमंत करकरे की मृत्यु पर पाकिस्तान की तर्ज में अपना राग अलाप रहा है।

यह मंत्री आतंकवाद के साथ लड़ाई लड़ने के संकटकालीन अवसर पर भारत के लोगों की एकता को खंडित कर रहा है। यूपीए सरकार एक तरफ तो पाकिस्तान के साथ सख्त होने की बात कर रही है तो दूसरी तरफ वह अपने मंत्री को मुंबई में आतंकी हमले के बारे में निर्दोष होने का दावा करनेवाले पाकिस्तान की भाषा बोलने दे रही है।

कांग्रेस पार्टी एम तरफ तो बाहर से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रूख अपनाने की बात करती है तो दूसरी तरफ अपने ही घर में वह वोट बैंक की राजनीति वाला रूख अपनाने पर तुली हुई है; स्पष्ट है कि ये दोनों रूख एक साथ नहीं चल सकते हैं। अतः यह तो परीक्षा का विषय हैः आज ही अंतुले को बर्खास्त करो अथवा हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि आपका पाकिस्तान विरोधी रूख ढोंग है, जो चुनावी रणनीति से प्रेरित है। ■

अंतुले ने उठाए शहादत पर सवाल

भाजपा ने मांगा इस्तीफा

dk ग्रेसनीत संप्रग सरकार के एक केन्द्रीय मंत्री द्वारा देश के वीर सपूतों की शहादत पर अंगुली उठाये जाने से पूरा देश आहत हैं। अल्पसंख्यक वोट–बैंक की राजनीति के चलते कांग्रेस नेता देश को दांव पर लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। गौरतलब है कि मुम्बई हमले में शहीद हुये भारतीय पुलिस सेवा के अफसर हेमन्त करकरे की शहादत पर केन्द्रीय अल्पसंख्यक मंत्री श्री ए. आर. अन्तुले ने यह कहकर देशवासियों को चौंका दिया कि श्री करकरे की मृत्यु आतंकवादियों की गोली से हुई थी या नहीं इसकी जांच होनी चाहिये। श्री अंतुले ने कहा कि श्री करकरे मालेगांव विस्फोट की जांच कर रहे थे इसलिये उनकी शहादत आतंकवादियों की ही गोली से हुई थी इसकी जांच होनी चाहिये।

इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने अपनी किरकिरी होती देख अंतुले के बयान से अहसमति जताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन इस मुद्दे पर पार्टी के अंदर असंतोष उभर आया है। हद तो तब हो गयी जब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव श्री दिग्विजय सिंह ने श्री अंतुले का बचाव करते हुए कहा कि हेमंत करकरे के मारे जाने की स्थितियों की जांच की मांग करके ए.आर. अंतुले ने कुछ भी गलत नहीं किया है। महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) के प्रमुख हेमंत करकरे की मुम्बई में आतंकी हमले के दौरान शहीद होने पर की गई टिप्पणी को लेकर चौतरफा आलोचना झेल रहे केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ए आर अंतुले ने उस विवाद को यह कहकर और हवा दे दी कि उन्होंने जो कहा है, उस पर उन्हें गर्व है।

इससे पहले लोकसभा में भाजपा सांसदों ने संसद में यह मुद्दा उठाया और श्री अंतुले को बर्खास्त करने की मांग की। भाजपा सांसद श्री संतोष गंगवार ने शून्यकाल शुरू होते ही श्री अंतुले के बयान का मामला उठाया। श्री गंगवार ने श्री अंतुले के बयान को आपत्तिजनक बताते हुये कहा कि एक ओर जहां लोकसभा में आतंकवाद से लड़ने के लिये कठोर कानून बनाने पर चर्चा हो रही थी वहीं दूसरी ओर अंतुले ने करकरे और उनके सहयोगियों के आतंकवादी हमले में मारे जाने पर सवाल खड़े किए, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से अंतुले को तुरंत बर्खास्त करने और इस मामले में तत्काल सदन में सफाई देने की मांग की।

भाजपा संसदीय दल के प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री ए. आर. अंतुले पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे की हत्या के बारे में लगातार गलतबयानी कर रहे हैं। एक केन्द्रीय मंत्री के रूप में उनके इन गैरजिम्मेदाराना बयानों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुंबई हमले को लेकर भारतीय पक्ष को कमजोर बना दिया है। आतंकवाद के खिलाफ कड़े कानून बनाने के बाद कांग्रेस को आत्मग्लानि हो रही थी, इसलिए उसने वोट–बैंक की राजनीति के तहत अंतुले को आगे करके यह विवादास्पद बयान दिलवाया। ■

आतंकवाद को लेकर कांग्रेस एक राय नहीं

वरिष्ठ भाजपा नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि संप्रग की सरकार और कांग्रेस के नेताओं में एकराय नहीं है, एक तरफ प्रणब मुखर्जी पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के दूसरे मंत्री अंतुले पाकिस्तान की मदद करने में लगे हैं। वैसे इतना सब कुछ होने के बाद भी अंतुले अपने बयान पर अड़े हुए हैं। अंतुले ने कुछ दिन पहले यह सवाल उठा कर हंगामा खड़ा कर दिया था कि हमलों के दौरान करकरे आखिर कामा अस्पताल की तरफ क्यों गए थे? उसके बाद जब भी उन्हें मौका मिला, वो अपना बयान दोहराते रहे। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में यहां तक कह डाला कि वो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। श्री आडवाणी ने आरोप लगाया कि आतंकवाद के मुद्दे पर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के रूख में विरोधाभास है और एक ओर जहां वह मुंबई आतंकी हमले में पाकिस्तान की संलग्नता बता रही है वहीं केंद्रीय मंत्री ए आर अंतुले को एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे की मौत पर सवाल उठाने वाले बयान से बरी कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से संप्रग सरकार और कांग्रेस ने अंतुले प्रकरण पर चुप्पी साध रखी है उससे साफ है कि दोनों अब आतंकवाद के मुद्दे पर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और देश की एकता के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि अंतुले प्रकरण पर सरकार की चुप्पी से साफ है कि सरकार और कांग्रेस में इस पर मतभेद है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस स्थिति से देश को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने के लिए संसद में जो संकल्प गया उसे पूरा करने में बाधा आएगी।

कब लड़ पाएंगे घर के शत्रुओं से?

roy hu flg

fi छले सप्ताह जब श्री अंतुले ने बिना किसी इरादे के हमें याद करा दिया कि भारत की अपनी सीमा के अन्दर ही ऐसे शत्रु है जो उन लोगों से भी कहीं बड़े गद्दार हैं जो समुद्र के रास्ते नौकाओं में बैठकर भारत में पहुंच जाते हैं। यदि हमारे पास महामहिम महारानी द्वारा नियुक्त, प्रधान मंत्री की बजाए वास्तविक प्रधानमंत्री होता तो वह न केवल अल्पसंख्यक कार्य मंत्री को बर्खास्त कर देता बल्कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा भी चलाता। वरना किस आदमी में इतनी हिम्मत हो सकती है जो भारत पर हुए आज तक के सबसे बदतर हमले होने पर यह कहने की जुर्रत कर सके कि हमारे पुलिस अफसर इतने दुष्ट हैं जो आतंकवादियों से लड़ने की बजाए खुद ही अपने अफसरों को मारने का षड्यंत्र करेंगे? यदि अंतुले में जरा भी शर्म–हया है तो महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते वह बताएं कि आखिर उन्होंने इस प्रकार के निराधार आरोप लगाने की हिम्मत कैसी की? मजा यह है कि वह जब भी टेलीविजन पर जाते हैं तो हर बार उनका बड़बोलापन बढ़ता जाता हैं और उनको कहना होता है कि मैं तो सिर्फ उन लोगों के खिलाफ बोल रहा हूं जिन्होंने जानबूझ कर हेमंत करकरे को मौत के मुंह में धकेला है और मेरी बात पूरे पुलिस बल के खिलाफ नहीं है।

पाकिस्तान में अब वह एक नए हिरो बन गए हैं। क्या पाकिस्तान हमेशा यह कहता नहीं घूम रहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि जिन लोगों ने मुम्बई में तबाही मचाई, वे पाकिस्तानी नहीं है? क्या पाकिस्तान के तथाकथित सुरक्षा विशेषज्ञ 'हिन्दू कट्टरवादियों' को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं? और अब तो बिना बहस–मुबाहसे के साबित हो गया है कि उनकी बात ही सही निकली। भारत सरकार का एक मंत्री राष्ट्रीय टेलीविजन पर इस बात की पुष्टि कर रहा है कि मुझे तो शक है कि करकरे को किसने मारा और 'लाखों भारतीय' उनके इस शक में हिस्सेदार बन रहे हैं। शायद इन मंत्री महोदय को समझ ही नही आ रहा है कि वह इस तरह की बात बोल कर सचमुच यह बतला रहे है कि भारत एक ऐसा राज्य है जो भरोसे के काबिल ही नहीं है।

काश, बात यहीं रूक गई होती। एक सुप्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकार है– जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी, क्यों अन्यथा यह कालम और बदनाम हो जाएगा– वह इससे भी आगे बढ़ गईं। भारत और सभी भारतीय वस्तुओं के खिलाफ प्रलाप करने वाली इस लेखिका ने अपने नवीनतम लेखों में मुम्बई पर हुए हमलों को उचित ठहराने की कोशिश की है। हर बात का कोई न कोई प्रसंग होता है, वह कहती है कि हमें यह समझना चाहिए कि जो जिहादी लोग भारत को तबाह करना चाहते हैं, उसके पीछे अच्छे खासे कारण हैं। भारतीय चीजों की खिलाफ नफरत फैलाने वाली यह अकेली उपन्यासकार नहीं हैं। मुम्बई में हुए हमलों के बाद से पश्चिमी मीडिया में लिखने वाले लगभग सभी भारतीय लेखकों ने भारत के खिलाफ छिड़े जिहाद के बारे में कुछ न कुछ औचित्य ढूंढ लिया है। जरा देखिए, कश्मीर में कितने अत्याचार हो रहे हैं और गुजरात की घटनाओं पर नजर डालिए, फिर बाबरी मस्जिद पर सोचिए। एक ब्रिटिश समाचार पत्र तो यहां तक कह दिया कि भारत ने 9/11 घटना का बहाना बना कर मुस्लिमों के साथ पहले से भी बदतर व्यवहार किया। एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने इस सम्पादकीय का उपयोग करते हुए बताने की कोशिश की कि मुम्बई की घटना इसी कारण हुई।

कुछ बातें सचमुच मन को बहुत निराश कर देती हैं। मुझे इस बात से निराशा होती है कि ऐसे बहुत से लोग हैं तो हमेशा हर बात के लिए भारत पर दोष मढ़ते रहते हैं और ये वह लोग हैं जो अपने देश में मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि वहां उतनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति नहीं करने दी जाती है जितनी भारत में स्वतंत्र अभिव्यक्ति की अनुमति है। यह स्वंतत्र अभिव्यक्ति हमें आसानी से नहीं मिली है। हमने बड़ी कठिनाइयों से गुजर कर इस देश को बनाया है जिसके मूल सिद्धांतों में लोकतंत्र, सेक्युलरिज्म और सार्वभौमिक मानवाधिकार की नींव डाली गई है। अब यह कहना तो मूर्खता होगी कि हम पूरी तरह से सफल हो गए हैं। कुछ गलतियां रही है, तरह–तरह की विफलताएं भी रही हैं, विशेष रूप से जब हम लोकतंत्र का लाभ एक–एक व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं, उसमें हम विफल रहे, परन्तु फिर भी हमने कम से कम कोशिश तो की है। एक वह देश है, जो जिहाद का प्रमुख केन्द्र है, वह तो आज तक भी दशकों से चले आ रहे सैनिक शासन से जूझ रहा है। फिर भी, यदि आप हमारे उन शरणार्थी लेखकों के विचारों को पढ़ें,

> ***जिस किसी को भी भारत उप–महाद्वीप के बारे में जरा भी बुनियादी जानकारी है, उसे मालूम होना चाहिए कि भारत में जैश–ए–मौहम्मद और लश्कर–ए–तोएबा जैसे संगठनों का पनपना सम्भव ही नहीं है। फिर भी, हमारे देश के अन्दर के शत्रु निरन्तर अफवाहें फैलाने में लगे रहते हैं कि ये हिंसक इस्लामी ग्रुप बजरंग दल जैसे ही हैं। यदि आप ऐसा मानते हैं तो आप सचमुच मूर्ख हैं, परन्तु क्योंकि इस प्रकार की अफवाहें वामपंथी दबाव में 'बुद्धिजीवी' फैलाते हैं, इसलिए पश्चिमी देशों के भोले–भाले जर्नलिस्ट मान लेते हैं।***

जिन्होंने न्यूयार्क और लन्दन में खूब पैसा बनाया और पुरस्कार प्राप्त किए हैं तो क्या आप सोचेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई फर्क नहीं है?

जिस किसी को भी भारत उप–महाद्वीप के बारे में जरा भी बुनियादी जानकारी है, उसे मालूम होना चाहिए कि भारत में जैश–ए–मौहमद और लश्कर–ए–तोएबा जैसे संगठनों का पनपना सम्भव ही नहीं है। फिर भी, हमारे देश के अन्दर के शत्रु निरन्तर अफवाहें फैलाने में लगे रहते हैं कि ये हिंसक इस्लामी ग्रुप बजरंग दल जैसे ही हैं। यदि आप ऐसा मानते हैं तो आप सचमुच मूर्ख हैं, परन्तु क्योंकि इस प्रकार की अफवाहें वामपंथी दबाव में 'बुद्धिजीवी' फैलाते हैं, इसलिए पश्चिमी देशों के भोले–भाले जर्नलिस्ट मान लेते हैं। जिस समय मुम्बई पर हमला जारी था, उस समय फिनांश्यल टाइम्स के एक सम्पादकीय को पढ़कर मैं हैरान रह गई, जिसमें लिखा था कि ये आतंकवादी हिन्दू हो सकते हैं क्योंकि इनमें एक आतंकवादी (कसाब) ने अपनी कलाई पर हिन्दू–चिह्न 'मौली' धागा पहना हुआ था।

भारतीय राज्य भ्रष्ट, कमजोर और अक्षम हो सकता है, परन्तु यदि कोई यह मानता है कि जिस तरह का हमला मुम्बई में हुआ, उसे भारत के लोगों ने किया होगा तो ऐसा समझना पागलपन ही कहा जा सकता है।

यदि किसी को प्रमाण ढूंढने की जरूरत हो तो मुम्बई हमले के बाद हमने जिस निष्क्रिय और बचकाने ढंग से काम किया, वह अपने आप प्रमाणित कर देगा। इस हमले के बाद हम पाकिस्तान को उन जिहादियों के खिलाफ कार्रवाई करने पर मजबूर नहीं कर पाए जिन्होंने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की धरती से युद्ध छेड़ रखा है, बल्कि हम अपने देश के अन्दर बैठे शत्रुओं के खिलाफ भी कुछ नहीं कर पाए। अगर कोई और देश होता तो वहां इन पर देशद्रोह का मुकद्दमा चल गया होता। ■

(अंग्रेजी से हिन्दी भावानुवाद)

आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की दिशा में पहल हो : ए.वाई. टिपनिस

गत 13, दिसम्बर 2008, को नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध अधिष्ठान द्वारा 13 दिसम्बर 2001 को संसद पर और 26 नवंबर को मुम्बई में आतंकी हमलों में शहीद हुए शूरवीरों को श्रद्धांजलि दी गयी। इस अवसर पर आतंकी हमलों को देखते हुए ''राष्ट्रीय सुरक्षा, राजनीति और क्रोधित जनमानस की भूमिका'' को लेकर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पूर्व एअर चीफ मार्शल ए. वाई. टिपनिस ने ऐसे वक्त में लोगों को धैर्य से काम लेने की सलाह देते हुए कहा कि इन घटनाओं में पकड़े गए आतंकियों को मात्र मारने से आतंकवाद खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं से जनमानस का क्रोधित होना जायज है लेकिन यह वक्त राजनीतिज्ञों को कोसने का नहीं बल्कि उनको सहयोग करने का है जिससे वे अच्छी तरह से देश को सम्भाल सकें।

श्री टिपनिस ने कहा कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए आंतरिक सुरक्षा और राजनीतिक स्तर पर मजबूत पकड़ होना जरूरी है, साथ ही हमको अपनी गलतियों से सीख लेनें की जरूरत है, जैसे अमेरिका ने 9/11 घटना से सबक लेकर अपनी सुरक्षा को मजबूती दी।

मुम्बई में हुए आतंकी घटनाओं का जिक्र करते हुए वरिष्ठ सुरक्षा विशेषज्ञ श्री प्रकाश सिंह ने इस घटना की जांच के लिए एक 'कमीशन ऑफ इन्क्वायरी' की मांग की। उन्होंने कहा कि हमें यह पता होना चाहिए कि किसकी गलती की वजह से इतने बड़े हादसे को अंजाम दिया गया।

श्री सिंह ने कहा कि आज हमारे सामने राजनीति का बड़ा ही विकृत स्वरूप देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि हमारे राजनितिज्ञों को जम्मू–कश्मीर समस्या, नक्सल समस्या, नार्थ–ईस्ट और असम की समस्या पर राजनीति नहीं करनी चाहिए अन्यथा राष्ट्र का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि आज हमें आतंकवाद से लड़ने के लिए पोटा से भी सख्त कानून की जरूरत है।

साथ ही हमें राजनीतिक, आर्थिक व कूटनीति स्तर पर इस लड़ाई को दुश्मन के खेमे में ले जाने की जरूरत है जिससे उनको यह लगे कि इसमें लाभ कम और घाटा ज्यादा है, तभी आतंकी शांत बैठ सकते हैं।

पूर्व केंद्रीय मंत्री व राज्यपाल श्री जगमोहन ने मौजूदा आतंकी समस्या के निदान के लिए राजनैतिक व बौद्धिक स्तर पर मूलभूत परिवर्तन पर जोर देते हुए देश के युवाओं को आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज जिस देश की लीडरशिप में जान है वही इन समस्यायों को हल कर सकता है लेकिन देश के आजाद होने से लेकर आज तक हमारी लीडरशीप में वो बात नही दिखता।

कार्यक्रम में अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए शोध अधिष्ठान के अध्यक्ष और पूर्व राज्पाल श्री केदार नाथ साहनी ने कहा कि जब तक हमारी जनता कम राजनीति इच्छाशक्ति वाले लोंगो को चुनकर संसद में भेजेगी तब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि अगर डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर में शहीद न हुए होते तो शायद कश्मीर में तिरंगा नहीं लहराया होता। श्री केदार नाथ साहनी ने समारोह में उपस्थित अतिथियों को भारतीय संसद का प्रतीक छपा एक–एक पात्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। ■

भारतीय राजनीति के अटल गौरव

&çHkkr >k

Vटलजी 25 दिसंबर, 2008 को 84 वर्ष के हो जाएंगे। वे अब प्रवास नहीं करते हैं पर जन–जन के मानस पटल पर उनके अतीत की स्मृतियों की मौजूदगी स्वतः देखी जा सकती हैं। कुछ वर्षों से अटलजी न सामान्य सभाओं में आते है न चुनावी सभाओं पर ऐसी कोई चुनावी सभाएं नहीं हो रही, जिसमें अटलजी की चर्चा न होती हो। राजनैतिक जीवन में व्यक्तित्व का यह श्रेष्ठतम स्वरूप किसी अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं में देखने को नहीं मिल रहा है। अटलजी पर न केवल भाजपा, न केवल भारत की जनता अपितु विश्व के श्रेष्ठतम लोगों को भी अभिमान होता है। हाल ही में अटलजी से दो बार भेंट करने का मौका मिला। पहली बार जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी के साथ गए तो उन्होंने पहले शिवराजजी की सारी बातें सुनी। शिवराज जी ने मध्यप्रदेश की राजनैतिक स्थितियों का वर्णन उनके सामने रखा। अटलजी ने सबको सुना, सबको आशीर्वाद दिया। अटलजी ने शिवराजजी से कहा– ''जीतकर आइए लड्डू खिलाऊंगा।'' उनकी वाणी में ओज था। शब्द कंपित निकल रहे थे पर प्रेरणास्पद थे। शिवराजजी जब बाहर आए तो उन्होंने कहा, कि अब हम फिर अटलजी के पास आएंगे और सच में विजयी लड्डू खाएंगे। जब मैं अटलजी के पास बैठा था तो मैंने जो विज्ञान में पढ़ा था कि ऊर्जा संचरित होती है उसे मैं साफ महसूस कर रहा था। सभी अर्जित होकर वहां से बाहर निकले।

दूसरी बार जब 8 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के परिणाम आए। उसके बाद शिवराजजी के साथ अटलजी से पुनः मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। शिवराजजी ने हंसते हुए अटलजी से कहा, ''अटलजी हम नरेन्द्र सिंह जी, प्रभात जी झा आपसे विजयी लड्डू खाने आए हैं।'' अटलजी ठहाका लगाकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, ''लड्डू लाओ इनको खिलाओ।'' छोटे को बड़ा होते देख अटलजी के चेहरे पर जो खुशी छाई थी उसे कोई भी पढ़ सकता था। वे आह्लादित थे। शिवराजजी ने कहा कि जब मैं आधा लड्डू खिलाउंगा तो

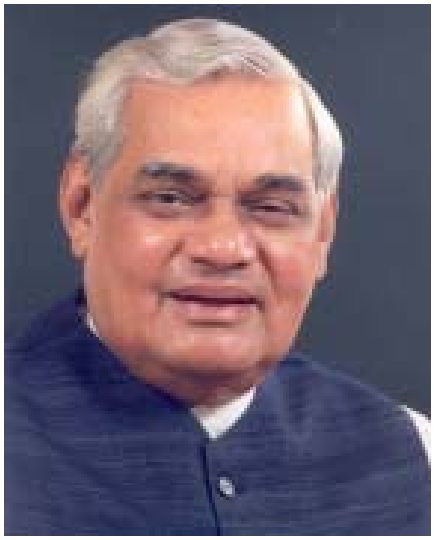

गांव के चौपालों पर, देश के छोटे–बड़े सदनों में साथ ही भारत के सबसे बड़े पंचायत, संसद के सेंट्रल हॉल में समय–समय पर हर दल के नेता अटलजी की चर्चा करते हैं। चर्चा सकारात्मक संदर्भों में होती है। लोग गर्व से कहते हैं कि अटलजी एक अपराजेय राजनीतिज्ञ का जीवन जी रहे हैं।

अटलजी ने कहा, ''मैं पूरा लड्डू खाऊंगा, आधा क्यों?'' अटलजी आज भी अपनी संरक्षक की भूमिका से लोगों के मनों पर अमिट छाप छोड़ रहे हैं।

गांव के चौपालों पर, देश के छोटे–बड़े सदनों में साथ ही भारत के सबसे बड़े पंचायत, संसद के सेंट्रल हॉल में समय–समय पर हर दल के नेता अटलजी की चर्चा करते हैं। चर्चा सकारात्मक संदर्भों में होती है। लोग गर्व से कहते हैं कि अटलजी एक अपराजेय राजनीतिज्ञ का जीवन जी रहे हैं। उन्होंने राजनीति में समय का सदैव ध्यान रखा। उनका बेमिसाल राजनीतिक जीवन, उनकी कार्यपद्धति, नैतिकता, प्रामाणिकता, वाक्पटुता, भाषण, ठहाके, उनके द्वारा ली गयी चुटकियां, कहीं न कहीं सभी की चर्चाओं में आता ही रहता है। वे विरोध में रहते हुए सत्ता पर भारी रहते थे। सदन में उनकी उपस्थिति बिना कुछ कहते सब कुछ कहती थी। आज अटलजी की मौजूदगी न केवल भाजपा बल्कि भारत के लिए गौरव की बात है। उनकी स्मरण शक्ति आज भी तीक्ष्ण है। देश की राजनीति पर उनकी पैनी निगाह बनी हुई है। वो हर खबरों से वाकिफ रहते हैं। वे राजनीति के प्रति सदैव ईमानदार रहे। वे दायित्वों के प्रति ईमानदार रहे। वे जीवन के प्रति ईमानदार रहे। पिछले विधानसभा चुनाव में 'एलईडी वेहिकल' पर अटलजी पर केन्द्रित पिक्चराइज्ड वीडियो फिल्म गांव–गांव में दिखाई गयी। इस तरह की गाड़ी जहां रुकती थी और जैसे ही एलईडी बाहर निकलता था और अटलजी अपनी भावभंगिमापूर्ण से ओत–प्रोत भाषण देते हुए दिखते थे लोग स्वतः ताली बजाते थे। अटलजी की वीडियो उपस्थिति भी लोगों के मन को झकझोर रही थी। जब उस पर बंबई अधिवेशन का चित्र आता है और अटल जी सन् 1980 में संपन्न हुये बंबई अधिवेशन में यह कहते हुए दिखते थे कि ''अंधियारा छंटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा'', लोग स्वतः बेतहाशा झूमने लगते थे।

भारत में विरले ही व्यक्तित्व ऐसे होंगे, जो स्वतः सक्रिय राजनीति से दूर रहने की घोषणा के बाद भी लोगों के मन में इतनी जगह बनाए हुए हैं। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय सचिव व सांसद हैं)

शिवराज मंत्रिमंडल में २२ मंत्री शामिल

jkज्यपाल डा. बलराम जाखड़ ने 20 दिसम्बर को शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल के 14 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इनमें 17 पुराने और 5 नए चेहरे शामिल हैं। कैबिनेट मंत्री के रूप में निवर्तमान सांसद रामकृष्ण कुसमरिया और गौरीशंकर बिसेन तथा राज्मंत्री के बतौर कन्हैयालाल अग्रवाल, देवीसिंह सैयाम एवं हरिशंकर खटीक शामिल किए गए हैं। दो पूर्व मंत्रियों–अर्चना चिटनीस और राजेन्द्र शुक्ला की पुनः वापसी हुई है। श्रीमती चिटनीस को कैबिनेट और श्री शुक्ला को राज्यमंत्री बनाया गया है।

14 कैबिनेट मंत्रियों में से 10 पुराने हैं जबकि दो राज्य मंत्रियों को पदोन्नत कर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। दो नए कैबिनेट मंत्री शामिल किए गए हैं। 8 राज्य मंत्रियों में से पांच पुराने और तीन नए हैं।

कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने वालों में बाबूलाल गौर, राघवजी, अनूप मिश्रा, जगदीश देवड़ा, गोपाल भार्गव, कैलाश विजयवर्गीय, जयंत मलैया, लक्ष्मीकांत शर्मा, नागेंन्द्र सिंह, अर्चना चिटनिस, जगन्नाथ सिंह, रामकृष्ण कुसमारिया, गौरीशंकर बिसेन और तुकोजीराव पवार शामिल हैं। राज्य मंत्री के रूप में करण सिंह वर्मा, पारस जैन, नारायण सिंह कुशवाह, रंजना बघेल, राजेंद्र शुक्ला, कन्हैयालाल अग्रवाल, देवी सिंह सैयाम और हरिशंकर खटीक ने शपथ ग्रहण की। मंत्रिमंडल में सर्वाधिक चार–चार मंत्री सागर और भोपाल संभाग से, तीन–तीन मंत्री इंदौर, रीवा, उज्जैन और ग्वालियर संभाग से और एक–एक मंत्री बालाघाट व जबलपुर संभाग से हैं।

किसे क्या मिला

f'kojkt flg pkSgku ¼eq[;ea=h½ % सामान्य प्रशासन, नर्मदा घाटी विकास, विमानन अन्य विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं हैं।

ckcwyky xkSj % नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास

jk?kothh % वित्त, योजना, आर्थिक और सांख्यिकी, बीस सूत्रीय क्रियान्वयन और वाणिज्यिक कर

t;ar eyS;k % जल संसाधन, आवास और पर्यावरण

dSyk'k fot;oxhZ; % वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान और टेक्नालॉजी, सार्वजनिक उपक्रम, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामोद्योग, संसदीय कार्य

xksiky HkkxZo % पंचायत और ग्रामीण विकास

vuwi feJk % लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ऊर्जा, चिकित्सा शिक्षा

txnh'k nsoM+k % परिवहन, जेल और गृह

y{ehdkar 'kekZ % संस्कृति, जनसंपर्क, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व व जनशिकायत निवारण

ukxsUnz flag ukxkSn : लोक निर्माण

vpZuk fpVuhl % तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा

txUukFk flag % आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण

Mk- jkeÑ".k dqlefj;k % किसान कल्याण तथा कृषि विकास, पशुपालन, मछलीपालन, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण

xkSjh'kadj fclsu % लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, सहकारिता

rqdkthjko iokj % पर्यटन, खेल और युवक कल्याण

राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार

dj.k flag oekZ % श्रम, राजस्व, पुनर्वास

ikjl tSu % खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

jatuk c?ksy % महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय

jktsUnz 'kqDyk % वन, जैव विविधता/जैव प्रौद्योगिकी, खनिज साधन, विधि और विधायी कार्य

राज्यमंत्री

ukjk;.k flag dq'kokg % परिवहन, जेल और गृह

dUgS;kyky vxzoky % सामान्य प्रशासन, नर्मदा घाटी विकास, विमानन

gfj'kadj [kVhd % आदिम जाति और अनुसूचित जाति कल्याण

nsohflag lS;ke % पंचायत और ग्रामीण विकास

भाजपा की गौरवशाली राजनैतिक विकास यात्रा

& ujUæflg rkej

भारतीय जनता पार्टी और पूर्ववर्ती जनसंघ की स्थापना के बाद पहली बार एक गौरवशाली क्षण दिख रहा है जब पहली बार पांच वर्ष में विकास का सोमनाथ ख़ड़ाकर लगातार दूसरी बार पांच साल के लिए सत्ता संभाल कर इतिहास रच रही है।

संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका और कार्यकर्ताओं का परिश्रम व जनता का स्नेह दुबारा सत्ता में लौटने का कारण तो है ही, विकास की अवधारणा को जमीन पर उतारकर जनसंवाद के जरिए जनता तक अपनी सीधी पहुंच बनाने वाले यशस्वी व लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के कारण यह करिश्मा संभव हो पाया है। विकास का नकारात्मक प्रभाव तो चुनावों में देखा गया था, लेकिन विकास का सकारात्मक प्रभाव पहली बार चुनावों में पूरे देश ने देखा यह शिवराज जी के कुशल, विनम्र, सहज जल प्रवाह की तरह निर्मल, सरल व्यक्तित्व का परिणाम है। वे सोशल इंजीनियरिंग का मेस्मेरिज्म नहीं करते समर्पित भावना से सिंहासन को पीड़ित समाज का सेवक बनने का प्रयास करते हुए दिखते है।

मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और विकास यात्रा, विकास पर्व, जनआशीर्वाद यात्रा, जन आशीर्वाद रैलियां, मतदान केन्द्र सम्मेलनों के माध्यम से पार्टी की विचारधारा और आदर्श गांव की पगंडडियों से जन–जन तक पहुंचे हैं।

शिवराज जी का व्यक्तित्व
पांव-पांव वाले जनसेवक

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकतंत्र में मुख्यमंत्री की भूमिका को किसान, मजदूर, युवा, दलित, युवा वर्ग आदिवासी महिला, शोषित पीड़ित के बीच बेझिझक पहुंचकर सार्थक की है। पांव–पांव वाले भैया के रूप में लोकप्रियता अर्जित की है। पिछले तीन वर्षों में शिवराज सिंह चौहान जन–जन की समस्याओं से रू–ब–रू होने के लिए गांव,देहात, ठेठ चौपालों तक पहुंचे हैं। मध्यप्रदेश को मंदिर, जनता को आराध्य और खुद को जनता का पुजारी साबित किया है। किसान परिवार में छोटे से गांव जैत (जिला सीहोर) में श्री प्रेम सिंह चौहान के घर जन्में शिवराज सिंह चौहान को बचपन से ही मध्यम परिवार, कृषक, गांव देहात की समस्याएं विरासत में मिली, जिनसे उनका संकल्प फौलाद में बदला। उनकी शिक्षा, दीक्षा भोपाल में हुई और वे किशोरवय में ही छात्र नेता बन गए। राष्ट्रवाद की भावना कूट–कूट कर भरी थी।

पिछले तीन वर्षों में शिवराज सिंह चौहान जन–जन की समस्याओं से रू–ब–रू होने के लिए गांव, देहात, ठेठ चौपालों तक पहुंचे हैं। मध्यप्रदेश को मंदिर, जनता को आराध्य और खुद को जनता का पुजारी साबित किया है।

ग्यारहवीं की कक्षा में ही उन्हें राष्ट्रवादी विचारधारा के कारण मेन्टेनेंस आफ सिक्योरिटी एक्ट में बंदी बनाया गया, जहां 9 माह आप जेल में रहे और राष्ट्रवादियों के संपर्क से आपके संस्कार और पुष्ट हो गये। उनकी सक्रियता, जन आंदोलनों, छात्र आंदोलनों में संलग्नता पर अभिभूत होकर तब राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने कहा था कि बेटा हो तो ऐसा हो।

1988 में क्रांति मशाल यात्रा की सफलता ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व को प्रदेशव्यापी पहचान दी। तब इस यात्रा में 40 हजार से अधिक युवकों की उपस्थिति देख कर राजमाता जी, पितृ पुरुष कुशाभाऊ ठाकरे, प्यारेलाल खंडेलवाल, नारायण प्रसाद गुप्ता सहित सभी वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान के व्यक्तित्व, कृतित्व पर अभिभूत हो गये।

जनसंवाद से चलाई सरकार

मध्यप्रदेश में जनता के लिये, जनता द्वारा और जनता की सरकार की अनुभूति पहली बार तब जन–जन को मिली। जब शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री के रूप में किसान, आदिवासी, कारीगर, महिला, युवा, खिलाड़ी, कोटवार सहित अन्य सभी तबकों की पृथक–पृथक पंचायत आयोजित की। इन पंचायतों में पारित संकल्प को शिवराजसिंह चौहान ने राय की नीति का आधार बनाया। लोक प्रशासन में जन भागीदारी सुनिश्चित होकर परिलक्षित कराने का श्रेय शिवराज सिंह चौहान को प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने अपने को जनता के प्रथम सेवक के रूप में सर्वव्यापी बनाया और विश्वास के द्वारा निष्काम जनसेवा के लिए उन्मुख हुए। विपरीत परिस्थितियों में जनता को राहत और सुकुन पहुंचाने की उन्होंने विलक्षण क्षमता और कल्पनाशीलता का परिचय दिया।

जरूरतमंद परिवारों के लिए जब केन्द्र सरकार ने सस्ते खाद्यान्न कोटा में कटौती कर दी, तो शिवराज सिंह चौहान ने रायकोष से मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना आरंभ कर गरीबों को तीन रु. किलो गेहूं, साढ़े चार रु. किलो चावल का वितरण कराकर जनता को राहत प्रदान की। किसानों को गेहूं के उपार्जन मूल्य में 100 रु. बोनस स्वीकृत कर देश में सर्वाधिक गेहूं का समर्थन मूल्य 1100 रु. क्विंटल टन करने का श्रेय अर्जित किया।

शिवराज सिंह चौहान ने कथनी और करनी का साम्य स्थापित कर देश में अपनी नयी पहचान बनायी। प्रदेश में अधोसंरचना के विकास के साथ प्रदेश में सफलता पूर्वक संपन्न निवेशक सम्मेलनों

ने प्रदेश को इंडस्ट्रीयल डेस्टीनेशन बना दिया। सामाजिक समरसता का वातावरण इस कदर कायम किया कि कांग्रेस के सांप्रदायिकता को लेकर लगाए जाने वाले आरोपों की हवा निकल गयी और कांग्रेस को भूलुंठित हो जाना पड़ा।

आम आदमी का चेहरा : सरलता, सादगी का प्रतीक

अपनापन और आम आदमी की तरह जनता अपने बीच का ही उन्हें पाती है, तभी तो वे 48 जिलों का दो बार दौरा कर अपने को भी उनके बीच रखना चाहते रहे।

प्रचार प्रसिद्धि की ललक नहीं और परिश्रम करते देख जनता ने उन्हें जन आशीर्वाद से नवाजा। संगठन को ईश्वर मानने वाले मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने लोप्रोफाइल रहकर भी लोकप्रिय हुआ जा सकता है, यह सिद्ध कर दिया। उनमें विषपायी बनने की क्षमता है–चाहे आरोप हों या विरोधी दलों के विरूद्ध बोलने का मामला, यह भी उन्होंने सिद्ध कर दिखाया है।

सत्ता में रहकर अपने कार्यकाल की समाप्ति की बेला में यादा मतदान का आग्रह वहीं कर सकता है, जिसने काम किया हो, यादा जनता के बीच जाने का उपक्रम वही कर सकता है, जिसने वास्तव में कल्पना को साकार कर दिखाया हो।

प्रदेश की जनता ने भाजपा को दोबारा सत्ता सौंपकर यह सिद्ध कर दिया कि वह विकास चाहती है, बड़बोलापन नहीं चाहती, सादगी, सरलता व सहजता चाहती है, सुरक्षा चाहती है और सबसे अहम बात संवाद चाहती है, जो शिवराज जी ने जनदर्शन, टेली समाधान, समाधान, आनलाइन, लोक कल्याण शिविर, जनसुविधा केन्द्र की स्थापना के साथ कर दिखाया।

जनकल्याण नारा नहीं हकीकत

मंचीय नाटक भड़क से दूर भाजपा की सरकार ने शिवराजसिंह चौहान के नेतृत्व में उंची उड़ान भरी। कांग्रेस ने इसे स्वप्न लोक बताकर कुंठा व्यक्त की। लेकिन जनता ने इसके पीछे वास्तविकता को परखा और अपना आशीर्वाद दिया। महिला सशक्तिकरण मध्यप्रदेश में हकीकत बनी। चाहे लाड़ली लक्ष्मी योजना को या कन्यादान योजना हो या जननी प्रसव योजना इन योजनाओं ने शिवराजसिंह चौहान ने जनसरोकार धरातल पर उतारा और जन–जन को राहत दी। पांच दशकों से कांग्रेस से प्रदेश की छली गयी जनता में नया विश्वास जगा।

पिछड़ों को आगे बढ़ने का संबल दिया। किसानों को खेती लाभदायक व्यवसाय के रूप में दिखने लगी है। मध्यप्रदेश बीमारू राय के कलंक से मुक्त होकर स्वर्णिम राय की मंजिल की ओर बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने सरलता, सहजता, किसान गरीब परस्ती से पार्टी के विचार दर्शन को जमीन पर उतारकर पार्टी को नयी पहचान दी है। पं. दीनदयाल उपाध्याय का सपना पूरा करने की दिशा तय हुई।

वर्ष 2003 से 2008 के बीच प्रदेश में प्रगति के नये क्षितिज खुले है। इन पांच वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों की तराजू पर कांग्रेस के पचास वर्षों की उपलब्धियां पासंग बैठती है। प्रदेश की जनता ने नवंबर 2008 के विधानसभा चुनाव में शिवराजसिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश देकर विकास, प्रदेश की विपुलता, समृद्धि की ललक जाहिर की है। कांग्रेस को बड़बोलापन की सजा मिली है। रीवा, खरगौन, जबलपुर, छिंदवाड़ा, भिंड, ग्वालियर, होशंगाबाद से कांग्रेस को जो शिकस्त मिली है, वह राजनैतिक दलों को एक संदेश है। जनता ने बता दिया है कि वह तिकड़मों से नहीं छली जाती रहेगी। राजनीति सोद्देश्य हो और उसकी धुरी विकास ही हो सकती है।

संगठन चुनाव से पहले की गई तैयारियां

भाजपा ने चुनाव से पहले प्रांतस्तरीय विकास सम्मेलन व विधानसभावार विकास शिविर व विकास यात्राएं निकाली, जिला स्तर पर जन आशीर्वाद रैलियां हुई। सांसद, विधायकों व जिलाध्यक्ष, महामंत्रियों के प्रांत स्तर के प्रशिक्षण शिविर हुये, जिलावार पदाधिकारी वर्ग व वक्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम किये गये। मंहगाई व आतंकवाद पर सभागृह, धरना, प्रदर्शन आंदोलन कर जनजागरण किया।

ग्राम व नगर केंद्र का गठन कर 44000 मतदान केंद्रो की ईकाइयों का गठन किया गया। ग्राम केंद्र व मतदान केंद्र का गठन किया गया, ग्राम केंद्र व मतदान केंद्र अनुसार पदाधिकारी प्रवास कार्यक्रम हुये जिससे मतदान केंद्र ईकाई सुगठित व सशक्त हुई। इसी के साथ एक विधानसभा क्षेत्र का 10 दिवसीय पदाधिकारियों का प्रवास हुआ। प्रदेश पदाधिकारियों ने प्रवास का प्रतिदिन का लेखा–जोखा दिया।

मुख्यमंत्री ने जनआशीर्वाद यात्रा करके विकास कार्यों को जन–जन तक पहुँचाया, कार्यकर्ता महाकुंभ भोपाल में आयोजित किया जिसमें अनुमान से ज्यादा साढ़े तीन लाख कार्यकर्ता उत्साह से एकत्रित हुए। मतदान केंद्र ईकाई के पालक–संयोजक तय किये जिनमें स्थानीय व प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल थे।

मीड़िया सेल को जिला व संभाग स्तर पर आधुनिक उपकरणों से लैस कर संवाद व संचार की गति को बढ़ाया गया। होर्डिंग अभियान चलाया गया, आतंकवाद, महँगाई व वैचारिक स्तर की साहित्य सामग्री का प्रकाशन किया गया, विज्ञापन फिल्म का निर्माण किया गया प्रवास कार्यक्रम का क्रियान्वयन की प्रतिदिन मानिटरिंग की गई, प्रतिदिन का सभी क्षेत्रों से फीड़बैक लेने के अलावा चुनाव प्रबंधन के हर आयाम को मजबूत किया गया।

(लेखक भाजपा म.प्र. के प्रदेश अध्यक्ष हैं)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

चुनाव समीक्षा व विश्लेषण हेतु समिति गठित

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी ने राजस्थान व दिल्ली चुनाव समीक्षा व विश्लेषण के लिए सांसदों की समिति गठित की है। जो कि इस प्रकार हैः–

jktLFkku : श्री यशवंत सिन्हा/ श्री थावर चन्द गेहलोत

fnYyh : श्री बाल आपटे/श्री अनंत कुमार
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

डॉ. रमन सिंह के मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार

◆ *11 मंत्रियों ने ली शपथ* ◆ *9 संसदीय सचिव भी बनाये गये*

भाजपा शासित राज्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के डा. रमन सिंह मंत्रिमंडल का 22 दिसम्बर को विस्तार किया गया। डा. रमन सिंह मंत्रिमंडल में 11 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह सहित 5 अनुसूचित जनजाति, 4 सामान्य, 2 अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के 1 विधायक को मंत्री बनाया गया है। मंत्रिमंडल में श्री ननकीराम कंवर को गृहमंत्री का पद दिया गया है।

रायपुर स्थित पुलिस परेड ग्राउण्ड में 22 दिसम्बर को दोपहर 12.37 बजे मंत्रियों को राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन ने शपथ दिलायी। लगभग 50 मिनट चले शपथ ग्रहण समारोह में एक महिला मंत्री सहित 11 मंत्रियों ने बारी–बारी से शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमुदाय ने प्रत्येक मंत्रियों के शपथ के बाद नारे लगा कर अपनी प्रसन्नता का एहसास कराया। इस मंत्रिमंडल में दो नए और 9 पुराने विधायकों को शामिल किया गया है। सभी मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है।

मंत्रिमंडल पर एक नजर

ननकीराम कंवर

(मंत्री–गृह, जेल एवं ई सहकारिता) एम.ए., एल.एल.बी तक शिक्षा प्राप्त श्री कंवर पेशे से किसान हैं। इसके पहले श्री कंवर मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की सरकार में राजस्व, कृषि वन और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री पद का दायित्व भी संभाल चुके हैं। श्री कंवर तत्कालीन मध्यप्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चे के अध्यक्ष भी रहे हैं।

बृजमोहन अग्रवाल

(मंत्री– लोकनिर्माण, स्कूल शिक्षा, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, संस्कृति संसदीय कार्य, पर्यटन) छत्तीसगढ़ में वर्ष 2003 में डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में प्रदेश की प्रथम निर्वाचित भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बृजमोहन अग्रवाल गृह, जेल, राजस्व, विधि–विधायी, वन, पर्यटन एवं संस्कृति, खेल एवं युवक कल्याण मंत्री रह चुके हैं। उन्हें 1997 में मध्यप्रदेश विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक के खिताब से भी सम्मानित किया गया है। श्री अग्रवाल 1988 से 90 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे।

रामविचार नेताम

(मंत्री–पंचायत एवं ग्रामीण विकास, विधि और विधायी कार्य विभाग) सन् 1977 में राजनीति में प्रवेश करने वाले श्री नेताम आदिवासी समाज के लोकप्रिय नेता हैं। वे 1990 में पहली बार विधायक निर्वाचित हुए और उसके बाद लगातार 1993, 1998, 2003 तथा 2008 के विधानसभा चुनाव में विधायक निर्वाचित हुए। श्री नेताम मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में पहली निर्वाचित सरकार में गृह, जेल, सहकारिता और आदिम जाति कल्याण विधा के मंत्री रहे।

पुन्नुलाल मोहिले

(मंत्री ,खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता, बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग) श्री मोहले 1996, 1998, 1999 और 2004 में लगातार चौथी बार बिलासपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री मोहले 2008 के विधानसभा चुनाव में मुंगेली विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए हैं। श्री मोहले को डॉ. रमन सिंह की सरकार में पहली बार मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। श्री मोहले ने बी.ए. द्वितीय वर्ष तक

की शिक्षा प्राप्त की है।

चन्द्रशेखर साहू

(मंत्री– कृषि, पशुपालन, मछलीपालन, श्रम) श्री साहू ने वर्ष 1985 से 1990 तक और वर्ष 1990 से 1993 तक तत्कालीन मध्यप्रदेश विधानसभा में अभनपुर क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में भी जनता को अपनी सेवाएं दी और वर्ष 1998 में महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर संसद में भी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

अमर अग्रवाल

(मंत्री– लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,चिकित्सा शिक्षा, वाणिज्यिक कर, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास) श्री अग्रवाल मध्यप्रदेश विधानसभा के 1998 के चुनाव में पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। 2008 में वे लगातार तीसरी बार बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने हैं। श्री अग्रवाल मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को पहली निर्वाचित सरकार में वित्त, वाणिज्यिक कर, नगरीय प्रशासन और स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं।

हेमचंद यादव

(मंत्री– जल संसाधन, आयाकट, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी) कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनाने वाले श्री यादव सक्रिय राजनीति के साथ–साथ सामाजिक क्रियाकलापों में भी सम्बद्ध रहे हैं। श्री यादव डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में गठित पहली निर्वाचित सरकार में जल संसाधन और परिवहन विभाग के मंत्री का दायित्व संभाल चुके हैं।

विक्रम उसेंडी

(मंत्री– वन, सार्वजनिक उपक्रम, जनशिकायत निवारण) वे नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र से 1993 में पहली बार विधायक बने। विधानसभा क्षेत्र परिसीमन के बाद वे 2008 में अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में गठित पहली निर्वाचित सरकार में वे शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। श्री उसेंडी बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी रहे हैं।

राजेश मूणत

(मंत्री– नगरीय प्रशासन, आवास एवं पर्यावरण, परिवहन) राजेश मूणत को दूसरी बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इसके पहले वे मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में गठित पहली निर्वाचित सरकार में लोकनिर्माण और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री रह चुके हैं। श्री मूणत भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

केदार कश्यप

(आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) पहली बार वे बस्तर जिले के विधानसभा क्षेत्र भनपुरी से तथा दूसरी बार नारायणपुर जिले के नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए हैं। श्री कश्यप डॉ. रमन सिंह की सरकार में दूसरी बार मंत्री बने हैं। इसके पहले वे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के राज्य मंत्री का दायित्व सम्हाल चुके हैं। श्री कश्यप हिन्दी साहित्य में एम. ए. हैं। वे भारतीय जनता युवा मोर्चा बस्तर के जिला उपाध्यक्ष और जनपद सदस्य रहे हैं।

लता उसेंडी

(महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, खेल एवं युवा कल्याण) सुश्री उसेंडी इसके पहले डॉ. रमन सिंह की सरकार में महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग की राज्य मंत्री रह चुकी हैं। उन्होंने स्नातक तक शिक्षा प्राप्त की है। इनके पिता मंगल उसेंडी तत्कालीन मध्यप्रदेश विधानसभा के विधायक रहे हैं। सुश्री उसेंडी के सार्वजनिक एवं राजनैतिक जीवन की शुरूआत कोंडागांव में पार्षद के रूप में हुई। ■

नौ संसदीय सचिव ने भी ली शपथ

डा. रमन सिंह मंत्रीमंडल के 11 सदस्यीय सदस्य के शपथ ग्रहण के पश्चात दूसरे दिन मुख्यमंत्री निवास पर 9 संसदीय सचिवो को भी शपथ दिलाई गयी। इसमें शामिल विधायकों में 4 विधायक पहली बार चुनाव जीत कर आए हैं। संसदीय सचिवों में श्री सियाराम साहू, श्री कोमल जंघेल, मैय्यालाल रजवाड़े, श्री भरत साय, श्री ओम प्रकाश राठिया, श्री विजय बघेल, श्री सिद्धनाथ पैकरा, श्री महेश गागड़ा और युवा विधायक श्री युद्धवीर सिंह शामिल है। ■

धरम लाल कौशिक होंगे विधानसभा अध्यक्ष

छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्रीमंडल गठन के बाद विधानसभा अध्यक्ष के लिए श्री धरम कौशिक का नाम तय कर लिया गया है। श्री कौशिक को विधानसभा अध्यक्ष बनाने की घोषणा डा. रमन सिंह ने शपथ ग्रहण समारोह के पश्चात की।

उन्होंने कहा कि श्री कौशिक बिलासपुर जिले के बिल्हा विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए हैं। वे पार्टी में प्रदेश महामंत्री व प्रवक्ता के पद में कार्यरत रहे हैं। श्री कौशिक अधिवक्ता भी हैं। ■

समाज को बांटने पर तुले अंतुले

fQjkt c[r vgen

आतंकवाद के खिलाफ देश की जंग को यूपीए सरकार के मंत्री अब्दुर रहमान अंतुले की सियासत ने गहरी चोट पहुंचाई है। भले ही उनके इस्तीफे को लेकर संसद में हंगामा हो, और किसी दिन दबावों के आगे झुकते हुए प्रधानमंत्री उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लें, मगर कौमी एकजुटता को तो उन्होंने एक बार फिर दरका ही दिया है। मुंबई विस्फोट में पूर्व एटीएस चीफ हेमंत करकरे की शहादत पर अंतुले साहब ने जिस प्रकार का जहर उगला है, उससे सांप्रदायिकता की दुर्गंध आती है। वह कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादियों को भला क्या जरूरत थी कि वे चुनकर हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर को ही मारते? वह यहीं चुप नहीं रहे। अब वह राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के गठन की भी आलोचना कर रहे हैं। उनकी टिप्पणियों से तो ऐसा ही महसूस होता है कि वह भारत के मंत्री न होकर पाकिस्तान के मंत्री हैं।

साफ है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री अंतुले के दिल में इन दिनों अपनी कौम के लिए काफी प्यार उमड़ रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि क्यों? जबकि सचाई तो यह है कि जब से उन्होंने इस मंत्रालय की कमान संभाली है, तब से अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए उन्होंने कुछ भी ठोस नहीं किया। उलटे वह एक ऐसी जगह मंत्रालय लेकर बैठ गए हैं, जहां तक पहुंचना पिछड़े, अल्पसंख्यक तबके के आम आदमी के लिए आसान नहीं। उनका मंत्रालय सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ग्यारहवीं मंजिल पर है। आम आदमी को तो वहां घुसने ही नहीं दिया जाता। इसके बावजूद यदि आप मंत्रालय में जाना चाहें, तो उसके लिए इतनी औपचारिकताओं से गुजरना पड़ता है कि पूछिए मत। और इस मंत्रालय के मंत्री अपने समुदाय के आम आदमी के हितों की बात करते दिखते हैं। वास्तव में, यह मंत्रालय तो सरकार के लिए महज एक सफेद हाथी है।

अंतुले जो कह रहे हैं, उसका प्रकारांतर से यही मतलब निकलता है कि हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर की हत्याएं मालेगांव बम धमाकों में संलिप्त लोगों द्वारा भी की गई हो सकती है। सभी जानते हैं कि करकरे मालेगांव धमाके की संजीदगी से तफ्तीश में जुटे हुए थे। लेकिन सवाल यह है कि उन जैसे अनुभवी राजनीतिज्ञ और मंत्री के पास क्या अपनी सोच के पक्ष में कोई पुख्ता सुबूत है? यदि नहीं है, तो एक वरिष्ठ मंत्री का इस तरह की गैर जिम्मेदारी का परिचय देना क्या उचित है, जिससे आतंकवाद के खिलाफ हमारी जंग कमजोर होती है?

करकरे की मौत का सवाल उठाकर, लगता है, अंतुले पाकिस्तान के हाथ में खेल रहे हैं। जाहिर है, हमारा पड़ोसी देश अंतुले से खुश है। पाकिस्तानी अखबार उनकी प्रशंसा में जुटे हैं। दैनिक नवा–ए–वक्त ने लिखा है, 'भारत फालतू में पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहा है कि आतंकवादी पाकिस्तान के हैं। बकौल अंतुले साहब, भारतीय पुलिस के तीन वरिष्ठ अफसरों को वहां के बहुसंख्यकों ने ही मारा है। सचाई तो यह है कि मुंबई के उस हादसे में पाकिस्तान के किसी शहरी का हाथ है ही नहीं।' दैनिक जसारत ने भी अंतुले को 'एक बहादुर और सच्चा नेता' आंका है। सवाल यह है कि वह किसको खुश करने की मुहिम में जुटे हैं?

दरअसल, पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुए, तो अंतुले को नेहरू–गांधी परिवार के प्रति वफादारी का तोहफा मिला। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के इशारे पर उन्हें अल्पसंख्यक मंत्रालय की कमान सौंपी गई। बदले में अंतुले ने कैसी वफादारी निभाई? अपने गैर जिम्मेदाराना बयान से उन्होंने न केवल अपनी छवि धूमिल की है, बल्कि कांग्रेस की साख को भी बट्टा लगा दिया है। हालांकि राजनीतिक हलकों में यह भी कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय का विश्वास और सहानुभूति हासिल करने के लिए खुद कांग्रेस यह खेल खेल रही है। चूंकि कुछ ही महीने में आम चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में मुसलिम मतदाताओं को रिझाने के लिए पार्टी ने अंतुले से यह बयान दिलवाया है। इस धारणा में दम भी है। गांधी–नेहरू परिवार के वफादार अंतुले 10, जनपथ को इस तरह सीधी चुनौती नहीं दे सकते। फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करने में भी कांग्रेस शिथिलता का परिचय क्यों दे रही है? वजह चाहे जो भी हो, अंतुले ने भारतीय मुसलमानों के जज्बात से खेलने का षड्यंत्र तो रचा ही है। प्रश्न यह है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसका जवाब यही हो सकता है कि मुसलिम समुदाय

...शेष पृष्ठ 30 पर

करकरे की मौत का सवाल उठाकर, लगता है, अंतुले पाकिस्तान के हाथ में खेल रहे हैं। जाहिर है, हमारा पड़ोसी देश अंतुले से खुश है। पाकिस्तानी अखबार उनकी प्रशंसा में जुटे हैं। दैनिक नवा–ए–वक्त ने लिखा है, 'भारत फालतू में पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहा है कि आतंकवादी पाकिस्तान के हैं। बकौल अंतुले साहब, भारतीय पुलिस के तीन वरिष्ठ अफसरों को वहां के बहुसंख्यकों ने ही मारा है। सचाई तो यह है कि मुंबई के उस हादसे में पाकिस्तान के किसी शहरी का हाथ है ही नहीं।' दैनिक जसारत ने भी अंतुले को 'एक बहादुर और सच्चा नेता' आंका है। सवाल यह है कि वह किसको खुश करने की मुहिम में जुटे हैं?

''गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन विधेयक २००८''

सरकार जागी, पर देर से

आतंकवाद भारत की प्रमुख समस्या है। भाजपा के नेतृत्ववाली राजग सरकार ने आतंकवाद को जड़ समेत खत्म करने के लिए आतंकवाद विरोधी कानूनी 'पोटा' लागू किया था लेकिन संप्रग सरकार ने सत्तासीन होते ही सबसे पहले पोटा कानून को वापस ले लिया, जिसके चलते आतंकवादियों का दुस्साहस बढ़ता गया। आतंकवाद के मुद्दे पर केन्द्र सरकार पर भारी जनदबाव पड़ा और अंततः उसने संसद में राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक–2008 तथा गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन विधेयक–2008 प्रस्तुत किया।

लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी एवं भाजपा सांसद श्री खालबेल स्वाईं ने दोनों विधेयकों का सिद्धांततः समर्थन करते हुए कहा कि संप्रग सरकार ने पोटा कानून का विरोध करने की अपनी आठ दस वर्ष पुरानी गलती सुधार ली है लेकिन इस दौरान देश की जनता को आतंकवादियों के हाथों जान–माल की भारी तबाही का सामना करना पड़ा। राज्यसभा में भाजपा सांसद श्री अरुण जेटली एवं श्री कलराज मिश्र ने बहस में हिस्सा लिया। श्री जेटली ने कहा कि इस नए विधेयक में पोटा के एक बड़े हिस्से को ही शामिल किया गया है और इसकी भाषा भी लगभग वैसी ही है।

हम यहां राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक–2008 तथा गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन विधेयक–2008 पर संसद के दोनों सदनों में हुई चर्चा के दौरान भाजपा सांसदों द्वारा दिए गए भाषणों के संपादित पाठ प्रकाशित कर रहे हैं। (नोटः इस मुद्दे पर संसद में भाजपा सांसदों द्वारा दिए गए भाषणों को संकलित कर एक पुस्तिका भी प्रकाशित की गई है।)

आतंकवाद के विरूद्ध पूरा विपक्ष सरकार के साथ : लालकृष्ण आडवाणी

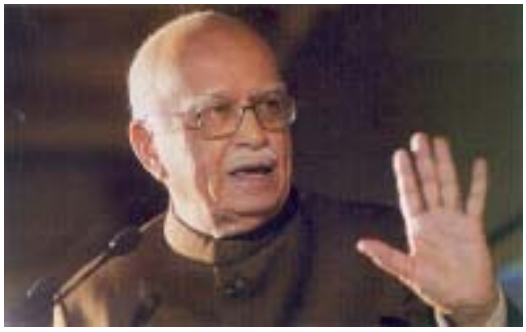

आज जो दो विधेयक पेश किये गये हैं, जिनमें जो कमियां मुझे दिखाई देती हैं, उनका उल्लेख मैं करुंगा, लेकिन मैं आरम्भ में ही कहना चाहूंगा कि मैं सिद्धांततः इन दोनों विधेयकों का समर्थन करता हूं। माननीय गृहमंत्री जी ने कहा कि यह महत्वपूर्ण विधेयक है और हमने जो स्टेंडिंग कमेटीज बनाई हैं वे इस उद्देश्य से बनाई हैं कि महत्वपूर्ण विधेयक स्टेंडिंग कमेटी के पास जाकर, ठीक प्रकार से उनके सब पहलुओं पर विचार करके और खासकर ऐसा विधेयक जिसमें शासन और प्रमुख विरोधी दल, दोनों सिद्धांततः एकमत हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। एनडीए और आप सहमत हैं, कुछ रिजर्वेशन्स हो सकते हैं, उसके बारे में मुझे नहीं पता। मेरे जो रिजर्वेशन्स हैं मैं उनका उल्लेख करुंगा, वे इन एडीक्वेसीज के हैं, सिद्धांततः आपत्ति नहीं है, न फैडरल एजेंसी पर और न ही आप जो एंटी टैरर कानून लाए हैं, उसके बारे में। लेकिन यह शासन का अधिकार है, शासन निर्णय करे, लेकिन मैं सुझाव के रूप में अपनी बात आपके सामने रखता हूं।

मुझे आज संतोष है और संतोष इस बात का है कि लगभग 10 साल तक जो स्टेंड सरकार ने लिया और जब विपक्ष में थे, तब भी उन्होंने वही स्टेंड लिया। यह आज की बात नहीं है। अचानक 10 साल के अंत में उन्होंने अपना स्टेंड मूलतः बदला है। मूलतः इस बात में बदला है कि जिस समय प्रीवेंशन ऑफ टैरेरिज्म एक्ट हम लाए थे, पहले आर्डिनेंस के रूप, फिर विधेयक के रूप में और जब विधेयक राज्य सभा में पास नहीं हुआ तो जाइंट सेशन के सामने, उस समय ऐसा नहीं है कि उस समय विपक्ष जो था वह आतंकवाद का मुकाबला करने के विरूद्ध था। नहीं, हम आतंकवाद को खत्म करने के पक्ष में थे और आप पक्ष में नहीं थे, यह अंतर नहीं, दोनों आतंकवाद को समाप्त करना चाहते थे। लेकिन आपका मत था कि जो आज कानून है वह आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त है, जबकि हम इस मत के थे कि यह पर्याप्त नहीं है। हमने यह बात न केवल देश के भीतर कही बल्कि हमारे उस समय के प्रधान मंत्री जी ने अमरीका में भी जाकर वह बात अमरीका को 9/11 से भी पहले कही कि आप अगर समझते हैं कि आतंकवाद की जो विभीषिका है और उनको बताया कि हमें कितनी तकलीफ हुई है और हमको तकलीफ इसलिए हुई है कि हमारे लिए आतंकवाद एक वार का सब्सीट्यूट हमारे पड़ोसी देश ने बना दिया।

अध्यक्ष महोदय, पड़ोसी देश ने हमारे साथ तीन–तीन युद्ध किए। जब इन युद्धों में उसे सफलता नहीं मिली, तब उसने वर्ष 1971 के युद्ध के बाद, जब वहां सैनिक शासन हुआ, उसके बाद योजनापूर्वक प्रोक्सी वार की नीति आतंकवाद के माध्यम से अपनाई। इस प्रयोग में सबसे पहले पाकिस्तान ने पंजाब को चुना और फिर जम्मू–कश्मीर तथा फिर सारे देश

में आतंकवाद फैलाया। अस्सी के दशक के शुरूआत से ही हम इस समस्या का सामना कर रहे हैं। अमरीका में आतंकी हमला वर्ष 2001 में हुआ। हमारे प्रधानमंत्री ने अमरीका में अमरीकी कांग्रेस के सामने यह बात कही कि अमरीका यह न समझे कि वे चाहे विश्व के दूसरे देशों से दूर हैए इसलिए शायद आतंकवाद से बचा रहेगा। 9/11 की घटना हुई और शायद आतंकवाद के इतिहास में इस प्रकार का भयंकर कांड कभी नहीं हुआ तथा भगवान न करे कि ऐसा कभी दोबारा हो। उस भयंकर कांड में आतंकवादियों ने चार हवाई जहाज हाईजैक करके उनका मिसाइल्स के रूप में प्रयोग किया। उसके कारण अमरीका हिला, दुनिया के दूसरे देश भी हिल गए। यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने 28 सितम्बर, 2001 को 1373 प्रस्ताव पारित किया, जिसमें उन्होंने दुनिया के सब देशों से कहा कि आतंकवाद भयंकर समस्या है और सामान्य अपराध के लिए जो कानून बने हुए हैं, वे उसके लिए पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए आतंकवाद के लिए विशेष कानून बनाएंगे। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आपके द्वारा प्रस्तुत बिल, अन लॉ फुल एक्टीविटीज (प्रिवेंशन) अमेंडमेंट बिल, 2008 को देख कर आश्चर्य हुआ। वर्ष 2008 में आप अनलॉफुल एक्टीविटीज (प्रिवेंशन) बिल के एक्ट के प्रिएम्बल को अमेंड कर रहे हैं। मुझे याद नहीं कि पहले कभी किसी ने प्रिएम्बल को अमेंड किया हो। ऐसा हो भी सकता है, लेकिन मुझे याद नहीं है। इतना मैं जरूर कहूंगा कि वर्ष 2001 में जो सलाह यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने दुनिया को दी और जिसका पालन दुनिया के प्रायः सभी देशों ने अमरीका ने, इंग्लैंड ने, जर्मनी ने आदि देशों ने किया। मेरा बहुत से देशों में जाना हुआ और सभी देशों ने कोई न कोई कानून बनाया और अगर मैं गलत नहीं हूं तो पाकिस्तान ने भी कानून बनाया था। हमने जब बनाया, उस समय आप विपक्ष में थे और आपने इस प्रकार से हम पर हमला किया मानो हमने कोई अपराध कर दिया हो। हमने अगर प्रिवेंशन आफ टेरोरिज्म एक्ट बनाया, तो क्या हमने अपराध किया था। यह जो रेयर प्रावधान भारत के संविधान में है कि अगर लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों के मत में अंतर हो तो निर्णय ज्वायंट सैशन बुलाकर किया जाएगा। भारत के इतिहास में ज्वायंट सैशन शायद दो बार या तीन बार बुलाया गया है। आज मैं देखता हूं कि अचानक सरकार को लगता है कि एक विशेष नए कानून की जरूरत है, जबकि पिछले आठ–दस साल इस कानून को बनाने की बात नहीं सोची। मैंने कहा कि मुझे संतोष है, लेकिन मैं खुशी प्रस्तुत नहीं कर सकता हूं। आखिर एक कहावत है कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो उसे भूला नहीं कह सकते। लेकिन अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए और सुबह तथा शाम के समय के बीच में अनर्थ हो जाए, उस भूल के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, तो मैं उस व्यक्ति को भूला जरूर कहूंगा। आपने एक प्रकार से इस बिल को प्रस्तुत करके और उसकी वकालत करके तथा यह कह कर कि आज ही इसे पास करना है, एक प्रकार से आपने अपनी गलती स्वीकार की है और आपको करना भी चाहिए कि आप दस साल गलत थे। आपको गलती स्वीकार करनी भी चाहिए। स्वयं आपने अनलॉफुल एक्टीविटीज (प्रिवेंशन) अमेंडमेंट बिल के क्लाज़–2 में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी के बारे में लिखा है।

हमने नहीं किया था। हमने देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पोटा पास किया था। आपने उसे मैंडेटिड माना। एक प्रकार से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मैंडेट है।

जब हमने प्रिवेंशन ऑफ टेरेरिज्म एक्ट बनाया था तब मैंने अपने सब अधिकारियों को कहा कि सुप्रीम कोर्ट में टाडा के बारे में जो आपत्तियां की गई हैं कि इस तरह से दुरुपयोग हो सकता है इसलिए सेफगार्ड इनकारपोरेट करो और वो किए गए क्योंकि यह टेरेरिज्म और डिसरप्टिव एक्टिविटी के खिलाफ था। आपने भी कुछ किए हैं, बहुत अच्छा किया है। मैं इससे इंकार नहीं करूंगा लेकिन बेसिकली यह सोचना कि क्योंकि किसी लॉ का दुरुपयोग हो सकता है इसलिए यह पास नहीं होना चाहिए, यह सरासर गलत है। आप जो बिल लाए हैं मैं उसमें इनएडीक्वेसिस और मेरी दृष्टि में जो होना चाहिए, बताऊंगा। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं कि आपने कहा पुलिस अफसर के सामने कोई कन्फेशन हो तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। यह एडमिसिबल नहीं है क्योंकि स्वीकार तो होगा नहीं। कोई अपराधी स्वयं कन्फेस करता है और कहता है कि मैंने मर्डर किया है, It is not conclusive evidence. यह कोर्ट को डिसाइड करना है कि उसके साथ कोरोबोरेटिव एविडेंस कितना है। यह भी अधिकार है कि कोई कहे कि मैं कन्फेस करता हूं तो रिट्रेक्ट करने का भी अधिकार है। वह कोर्ट के सामने कहे कि मैं रिट्रेक्ट करता हूं। आप स्वयं वकील हैं और आप यही सब बातें ज्यादा जानते हैं। मैंने वकालत पढ़ी तो है लेकिन कभी प्रेक्टिस नहीं की लेकिन इतना मैं जानता हूं कि पुलिस अफसर के सामने कन्फेशन को क्यों एडमिसिबल एविडेंस किया। अभी एक आतंकवादी पकड़ा गया है, क्या उसके लिए और एविडेंस लाएंगे? उसकी एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगी क्योंकि पुलिस अफसर या ज्यूडिशिएल अफसर या ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने नहीं किया गया है? हां, यह प्रेस्क्राइब करना चाहिए कि इस लैवल का पुलिस अफसर होना चाहिए जिसके सामने हो तो वह एडमिसिबल एविडेंस होगी, it does not become conclusive evidence. यह कन्क्रीट केस है जो अभी आया है कि एक आतंकवादी पकड़ा गया। तुका राम ने बहादुरी की और उसे पकड़ा। वह सब कुछ बताने के लिए तैयार होगा तो भी साधारण लॉ के तहत एविडेंस एडमिसिबल नहीं है। इसलिए

दुनिया के प्रायः सभी देशों ने अमरीका ने, इंग्लैंड ने, जर्मनी ने आदि देशों ने किया। मेरा बहुत से देशों में जाना हुआ और सभी देशों ने कोई न कोई कानून बनाया और अगर मैं गलत नहीं हूं तो पाकिस्तान ने भी कानून बनाया था। हमने जब बनाया, उस समय आप विपक्ष में थे और आपने इस प्रकार से हम पर हमला किया मानो हमने कोई अपराध कर दिया हो।

मैं लॉ कमीशन की ऑब्जर्वेशन कोट करना चाहूंगा। मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं जिसमें 73 रिपोर्ट में कहा है।

यह सोचना कि यह लॉ इतना स्ट्रिंजेंट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि माइनोरिटी इसके खिलाफ है। आप इस प्रकार से कह कर माइनोरिटी को बदनाम कर रहे हैं। This is a law against terror; this is a law against terrorists that we enacted and which you are also enacting today.

You cannot now claim कि वह जो था, वह कम्युनल लॉ था और यह सेक्युलर लॉ है, यह तो नहीं कहोगे, उम्मीद करता हूं। आपने देश का बहुत नुकसान किया है by trying to see laws against terror through the prism of majority and minority. I said it that day and I repeat it today. मैं फिर से रिपीट करता हूं कि हिंदुस्तान में यहां की कांस्टिटुंट असैम्बली, जो उस समय अपने संविधान पर विचार करने बैठी, जब हिंदुस्तान का विभाजन हुआ था। यह विभाजन कांग्रेस नहीं चाहती थी, देश नहीं चाहता था और वह विभाजन इस आधार पर हुआ कि कहां हिन्दू बहुमत है और कहां मुसलमान बहुमत है और उन परिस्थितियों में पाकिस्तान ने अपने को थियोक्रेटिक स्टेट डिक्लेयर किया। हिन्दुस्तान ने अगर सेक्युलरवाद अपनाया तो यह स्वयं में एक ऐसी बात है कि जिसे दुनिया का कोई देश भूल नहीं सकता और हिन्दुस्तान भी नहीं भूल सकता और बहुत उचित किया, उसके आधार पर हमने साठ साल देश को चलाया। लेकिन फिर भी इतनी देर हर चीज को इस चश्मे से देखना, इससे न देश का भला है और न अल्पसंख्यकों का भला है। आप उनका भी बहुत नुकसान कर रहे हैं। इसलिए इस चश्मे से मत देखो। इस चश्मे को एक तरफ रखकर इन्डिपैंडैन्टली देखो कि टैररिज्म का मुकाबला करने के लिए कैसे–कैसे कानून जरूरी हैं। साधारणतः कोई इंटरसैप्शन ऑफ मैसेज, टेलिफोन टॉक वह एडमिसिबल एविडैन्स नहीं है। हमने प्रावधान बनाये, जिसमें Interception of telephonic talks and messages coming from, say, abroad to here, to the terrorist concerned, that became an admissible evidence. दे सकते हैं, मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री, जो ढेर सारे प्रावधान थे relating to interception of messages. उन्हें भी इस नये कानून में समाविष्ट करें। उसकी एडिमिसिबिलिटी को स्वीकार करें। उसमें प्रावधान था कि वह एडमिसिबल होगा, इंटरसैप्शन ऑफ कम्युनिकेशन। मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार से कंफैशन रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर्स एडमिसिबल एविडैन्स होना चाहिए, वैसे एडमिसिबिलिटी ऑफ इंटरसैप्टिव इंफॉर्मेशन भी आनी चाहिए।

अध्यक्ष जी, मैं जानता हूं कि कानून का दुरुपयोग होता था, टाडा का भी दुरुपयोग होता था। मैं इनकार नहीं करूंगा और एक स्टेज पर मुझे याद है, चिदम्बरम जी टाडा लाये थे। वह उस समय भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट, होम थे, जब टाडा आया था और मुझे याद है कि उसका दुरुपयोग कैसे–कैसे होता था। पुलिस वाले को सुविधाजनक लगता था कि इस अपराधी को इस एजिटेशन को, चाहे वह ट्रेड यूनियन का एजिटेशन हो, मैं गुजरात में गया था, जहां पर फारमर्स एजिटेशन के खिलाफ, यहां हमारे दोनों साथी बैठे हैं और पहली बार अगर मैं टाडा के खिलाफ बोला तो उस फारमर्स कांफ्रैन्स में बोला, जहां फारमर्स के एक एजिटेशन को सप्रैस करने के लिए वहां पर टाडा का उपयोग किया गया। लेकिन किसी स्टेज पर तभी हमने यह नहीं कहा कि टाडा को स्क्रैप करो, कभी नहीं कहा। टाडा का दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए हमेशा हम इसका विरोध करते थे। लेकिन किसी स्टेज पर टाडा खत्म करो, यह हमने नहीं कहा। मैं उम्मीद करता था कि आप भी हमें यह कहेंगे कि ठीक है, पोटा बनाओ, कोई बात नहीं, लेकिन दुरुपयोग मत करना, ऐसा कहते और अगर कहीं दुरुपयोग होता है तो आप उसे रोकते, उसकी आलोचना करते। लेकिन आपने लगातार अपनी एक थ्योरी बनाई कि terrorism is a law and order issue. स्टेट को करने दो, केन्द्र की जरूरत नहीं है। I can quote Shrimati Sonia Gandhi on this and I can also quote the Home Minister, Shri Shivraj Patil, who is no longer there as Home Minister, on this. But everyone from Prime Minister to Home Minister to the Congress Party President has taken the stand that the present set of laws is totally adequate to deal with terrorism.

And let them deal with it as law and order is a State issue. हम उसे पूरा सपोर्ट करेंगे। This is the basic flaw that has been your thinking till today. Today, suddenly when you have staged a 'U' turn, मैं तो बहुत खुश हूं। नेचुरली खुश हूं क्योंकि मैं लगातार आरग्यू करता था क्योंकि कानून हमने बनाया था और जिस कानून को समाप्त करना यूपीए के कार्यक्रम में पद respect of Terrorism, लगभग एकमात्र चीज थी कि पोटा को हम खत्म करेंगे। It was the only thing that finds mention in the UPA's Common Programme.

In fact, I have with me a quotation from the Prime Minister. On September 3, 2005, Prime Minister Mr. Manmohan Singh at Chennai had said that :

"His Government had fulfilled its promise to repeal the Prevention of Terrorism Act, which has caused unnecessary harassment to every section. Our Government had made a commitment to repeal POTA, and we have faithfully fulfilled the promise made at the time of last Lok Sabha elections."

होम मिनिस्टर साहब, आपने प्रधान मंत्री की इतनी बड़ी गर्वोक्ति को बिल्कुल नकार दिया।

हमने इतना बड़ा वचन पूरा किया और आपने उनको एक प्रकार से उस सारे को निरस्त कर दिया। क्यों? आप इस बात पर सोचिए। Mr. Home Minister, it is not easy just to nod your head and get away with it. It is not only because of Mumbai. मुम्बई से पहले जो घटना थी, वह इतनी बड़ी नहीं थी। मैं उस पर कहना चाहूंगा। मैं मन में सोचने लगता हूं कि क्यों, आखिर मुम्बई में ही दो साल पहले लोकल ट्रेन्स पर हमला हुआ था। वह हमला भी कोई कम भयंकर नहीं था और इसके बाद जो पहला वक्तव्य बाहर से निकला था, वह यह था कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है और उसके थोड़े ही समय बाद अचानक प्रधान मंत्री जी कहते

हैं कि पाकिस्तान तो स्वयं ही आतंकवाद का शिकार है, victim of terrorism. पाकिस्तान में भी कुछ हमले हुए हैं, वहां के राष्ट्रपति पर तथा दूसरे लोगों पर हमले हुए हैं। But to describe Pakistan as a victim of terrorism, and that too by the Prime Minister and two days later to announce that a joint-mechanism between India and Pakistan be set up to fight terrorism, I was shocked and amazed. हमने कहा कि इतने साल हमको दुनियाभर को विश्वास दिलाने में लगे कि हमारे यहां जो आतंकवाद है, वह कोई होमग्रोन नहीं है, It is cross-border terrorism. और वे मानने लगे थे कि हां, यह सही है। अभी–अभी आकर दो दिन पहले यह कहा गया कि "Pakistan is the epicentre of terrorism." ये जो इतने सारे परिवर्तन हुए हैं, मैं मानता हूं कि कुछ तो सच्चाई है जो किसी को भी देखने में आएगी और दूसरी बात है कि देश में जैसा वातावरण मुम्बई पर उस हमले के बाद पैदा हुआ, फर्क यह है कि इससे पहले के जो विस्फोट होते थे, वे दो–चार घंटों के लिए होते थे। लेकिन इस बार तीन दिन तक यह सब लगातार चलता रहा और उसमें टेलीविजन चैनल्स ने जिस प्रकार से उसे दिखाया, हालांकि वह एक अलग बात है कि उसमें क्या दिखाना चाहिए और क्या नहीं दिखाना चाहिए या कोई उसका कोड बनना चाहिए, मैं इससे सहमत होते हुए भी समझता हूं कि टेलीविजन ने एक प्रकार से बहुत बड़ी देश की सेवा की कि उनको स्वयं लगा कि एक–एक व्यक्ति, एक–एक नागरिक जो टेलीविजन देख सकता था, He failed outraged कि हमारे यहां क्या हो रहा है? यह कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है टेलीविजन ने वह चिंता पैदा की और इसी के परिणामस्वरूप लोगों में गुस्सा पैदा हुआ। लोगों ने जाकर किसी एक पार्टी के खिलाफ, एक सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा ज़ाहिर नहीं किया बल्कि पूरी पोलिटिकल कम्युनिटी के खिलाफ अपना गुस्सा ज़ाहिर किया। यह इसीलिए क्योंकि आपने दस साल तक इस बात से इंकार किया कि कोई स्पेशल लॉ नहीं बनाएंगे और अगर स्पेशल लॉ किसी ने बनाया है, तो उसे खत्म करना, एक प्रकार से सरकार ने आर्टिकल ऑफ फेथ बना दिया। इसका जो नुकसान हुआ,उसे हम लोगों को उस दिन भुगतना पड़ा। लोग यह समझने लगे कि ये सब लोग सुरक्षित हैं, किसी के साथ कमांडोज़ हैं, और आम नागरिक दुखी है। एक प्रकार से उनका गुस्सा जायज़ है। यह गुस्सा हमारी सरकार के स्टैंड के कारण है कि किसी कानून की जरूरत नहीं है, आर्डिनरी लॉज़ पर्याप्त हैं, It is a State issue, essentially a law and order issue. It is not a law and order issue. it is a very special evil. और जिस इविल ने दुनिया भर को इंफलिक्ट किया है और आज भी किया है। मैं आपको बताऊं कि कितने हमने कानून बनाने हैं अमरीका ने कितने कानून बनाये हैं, अमरीकन पैट्रीयट एक्ट नहीं, अनेक बनाये हैं। होम सिक्यूरिटी डिपार्टमेंट बनाया है। मैं इन बातों में अभी नहीं जाना चाहता, जरूरत नहीं है कि जब हम बैठकर डिसकस करेंगे तो सोचेंगे कि क्या करना है बेसिकली हम लोगों को इस बात को स्वीकार करना चाहिये कि आज अल कायदा जैसे टैरेरिस्ट आर्गनाइजेशन्स, उनका सब से बड़ा दुश्मन, अगर कोई है तो वह भारत नहीं है, उनकी नजरों में अमरीका है, दूसरे नम्बर का इजराइल है और शायद हमारा नम्बर तीन हो सकता है, बम नहीं जानते। उनकी नजरों में सब से बड़ा दुश्मन अमरीका है, भारत नहीं है। लेकिन अमरीका सब से बड़ा दुश्मन होते हुये भी 9/11 में उन्हें इतनी बड़ी सफलता मिली कि उसके बावजूद वहां कोई छोटी–मोटी घटना तक नहीं हुई जब कि यहां पर 2004 के बाद से न जाने कितनी ऐसी घटनायें हुई हैं। मैं अगर गिनाना चाहूं तो ढेर सारी गिना सकता हूं। मैं छोड़ देता हूं। I do not want to hammer the same point today.

आपने दस साल तक इस बात से इंकार किया कि कोई स्पेशल लॉ नहीं बनाएंगे और अगर स्पेशल लॉ किसी ने बनाया है, तो उसे खत्म करना, एक प्रकार से सरकार ने आर्टिकल ऑफ फेथ बना दिया। इसका जो नुकसान हुआ, उसे हम लोगों को उस दिन भुगतना पड़ा। लोग यह समझने लगे कि ये सब लोग सुरक्षित हैं, किसी के साथ कमांडोज़ हैं, और आम नागरिक दुखी है। एक प्रकार से उनका गुस्सा जायज़ है।

I do not want to go into it. I would only like to say कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये लीगल फ्रेमवर्क चाहिये जिसकी दिशा में एक कदम आज उठाया गया है। उसमें भी मैंने बताया कि इसमें मुझे जो इनएडीक्वेसीज़ लगती हैं, पद respect of confession लगती हैं। मुझे यह लगता है कि इंटरसैप्टेड इनफार्मेशन के बारे में जो प्रावधान थे, पोटा में जो थे, आप देख लीजिये, वे अनेक और सब के सब हैं। और इसकी इंटरसैप्टेड इनफौर्मेशन एडमिजिब्लिटी और प्रीजम्पशन ऑफ आफिस के बारे में आपने जो कुछ कहा है ए मैं उससे ज्यादा डिसएग्री नहीं करता हूं। लेकिन मैं यह जरूर कहता हूं कि कुल मिलाकर अमरीका शासन और अमरीका समाज – दोनों का एटिट्यूड बहुत इम्पार्टेंट है। हिन्दुस्तान में भी सरकार और समाज तथा सरकार और देश के एटीट्यूड की बहुत इम्पार्टेंस है। मैं एटीट्यूड की बात जब कहता हूं तो 2001 में जो घटना हुई थी लेकिन उसके परिणास्वरूप 2008 में आज भी अगर कोई अमरीका जाता है तो जो आदमी एअर ट्रेवल करता है, उसकी पूरी जांच होती है, अच्छी खासी जांच होती है कि जुर्राब खोलो, जूते खोलो, यह खोलो, वह खोलो। अगर ऐसी स्थिति यहां हो तो क्या हमारा देश इस बात को स्वीकार करेगा? दिक्कत करेगा, मैं देश की बात कर रहा हूं और मैं जानता हूं कि आज तक क्यों ऐसा हुआ भारत की संसद पर 13 दिसम्बर, 2001 को हमला हुआ। मुकदमे का फैसला 2002–03 में पूरा हो गया।

अपराधी पकड़े गये, सजा हो गई और जिसे फांसी की सजा हुई, उस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, एंडोर्स किया लेकिन इम्पलीमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कोई लौजिक नहीं, कोई बात समझ में नहीं आती है। कुल मिलाकर ये बातें एक संदेश भेजती हैं कि सारे आतंकवादी समूह के खिलाफ कार्यवाही करने में देश ढीला–ढाला है।

आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कानून राष्ट्रीय जरूरत: जेटली

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री अरुण जेटली, द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक 2008 तथा विधि विरुद्ध कार्यकलाप (निवारक) विधेयक 2008 पर संसद में हुई चर्चा के दौरान दिया गया अभिभाषण के प्रमुख अंश :

मैं ऐसे समय में उन विधेयकों पर बोलने के लिए खड़ा हूं जब यूपीए सरकार का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है और उसने इन विधेयकों को प्रस्तुत करते हुए किसी वैचारिक प्रतिबद्धता का कारण प्रस्तुत नहीं बताया है, बल्कि इसका कारण यह रहा है कि जब 10 दुष्ट आतंकवादियों ने भारत को 26/11 की घटना से पूरे देश को हिलाकर रख दिया तो प्रत्येक भारतीय को भरोसा होने लगा कि वोट बैंक की राजनीति पर चलने से आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है।

जो लोग आतंकवाद के खिलाफ विशेष कड़ा कानून लाने का विरोध कर रहे थे, वे निश्चित ही गलत सिद्ध हुए। उनका तर्क कुछ इस प्रकार का था:

- पोटा का कानून आतंकवाद के खिलाफ न होकर अल्पसंख्यकों के खिलाफ था।
- आतंकवाद से लड़ने के लिए सामान्य कानून ही काफी है और किसी विशेष कानून की आवश्यकता नहीं है।
- विशेष आतंक विरोधी कानून मानवाधिकारों के खिलाफ है।
- विशेष आतंक विरोधी कानून का दुरूपयोग किया जा सकता है।
- पोटा कानून के बावजूद भी संसद और अक्षरधाम पर हमले हुए और इसलिए आतंक विरोधी कानून निष्प्रभावी रहा।

जिन दस दुष्ट आतंकवादियों ने 26/11 की घटना करके भारत को हिला दिया उसके कारण आतंकवाद के खिलाफ विशेष कानून बनाए जाने वाले सभी आलोचकों की मूल अवधारणाओं को समाप्त करके रख दिया। आज यथार्थता भारत के सामने है। अब कोई भी भारतीय आतंक के सामने कमजोर पड़कर

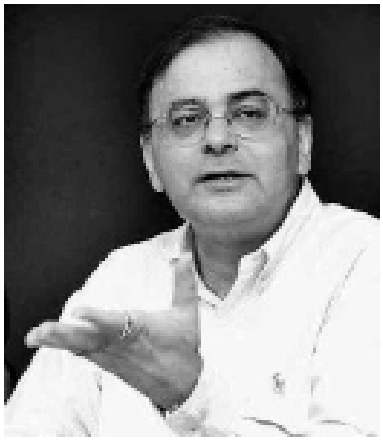

नर्म राज्य भारत की स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकता है। ये सभी आपत्तियां निरर्थक सिद्ध हुई हैं।

आतंक विरोधी कानून की आवश्यकता क्यों?

यह स्पष्ट है कि कोई भी आतंक–विरोधी कानून सख्त खुफिया और सुरक्षा कदम उठाने का स्थान नहीं ले सकता है। निश्चित ही आपको शक्तिशाली खुफिया तंत्र की आवश्यकता रहेगी जो दुश्मन के शिविरों में भलीभांति सेंध लगा सके और आपको पहले से सूचना दे सके कि दुश्मन किस प्रकार की योजनाएं बना रहा है। खुफिया सूचनाओं को समन्वित करना जरूरी है और फिर उन सूचनाओं को कारगर ढंग से आगे बढ़ाकर निवारक उपाय करना जरूरी है। आपकी सुरक्षा प्रतिक्रयाओं को तेजी से अमल में लाना होगा। हमारे कमांडो की गतिविधियों से दुश्मन के मन में भय बैठाना जरूरी है। स्पष्ट है कि आतंक संबंधी कानून इन सभी बातों का स्थान नहीं ले सकता है।

आतंकवाद के खिलाफ मुख्य संघर्ष न्यायालयों में लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं है; पहले तो इस लड़ाई को समाज के मन से लड़ा जाना है। इस लड़ाई को लोगों के दिलों में, चाहे वे पुरूष हों या महिलाएं, ले जाना आवश्यक है और फिर इस लड़ाई के संकल्प की झलक हमारी राजव्यवस्था और सरकार में दिखाई पड़ना जरूरी है। और फिर इसके बाद इस लड़ाई की झलक हमारी खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा गतिविधियों में दिखाई पड़नी चाहिए।

अभी तक हमारी भारतीय दंड संहिता दंडनीय अपराधों को समाप्त नहीं कर पाई है। इसी प्रकार, कोई भी आतंक–विरोधी कानून आतंकवाद समाप्त नहीं कर सकता है। आतंक–विरोधी कानून से तो सिर्फ समुचित जांच के कार्य को ही बल मिल सकता है और उन लोगों को दंड दिलाया जा सकता है जो आतंकवादी अपराध करने में लिप्त रहते हैं। यदि हमारे पास प्रभावशाली आतंक विरोधी कानून है तो सजा दिलाने की दर में बढ़ोतरी होगी और तेजी से सजा दिलाई जा सकेगी। यह केवल अपराध के खिलाफ निवारक उपाय का काम करेगा।

लगभग अपने चुनावी कार्यकाल का 95 प्रतिशत हिस्सा बर्बाद कर देने के बाद, जिसमें आतंक विरोधी कानून के पीछे युक्तियुक्तता पर संदेह करने में बिता दिया, अब यूपीए सरकार को हिचकिचाते हुए यह स्वीकार करने पर मजबूर होना पड़ गया है कि भाजपा जो कुछ कह रही थी, वही सही था। परंतु, दुर्भाग्य तो यह है कि राजनीतिज्ञ कभी भी इसे स्वीकार नहीं करते हैं कि वे गलती करते रहे हैं और इसलिए यह बात स्वीकार करने पर भी वे गलती करते रहे तो हिचकिचाहट की यह स्वीकार्यता भी अधूरी रह जाती है। समाचारपत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों से पता चलता है कि गृह मंत्री इस कानून में और कुछ भी संशोधन करने की बड़ी कोशिश करते रहे, परंतु उनके कैबिनेट

सहयोगियों ने भारत के सुरक्षा हितों की उपेक्षा करते हुए अपने वोट बैंक हितों को साधने से बाज नहीं आए।

आतंकवादी अपराधों का विश्लेषण

आइए, जरा हम हाल के आतंकवादी हमलों के तीन मामलों का विश्लेषण करें ताकि हम समझ सकें कि आखिर आतंक–विरोधी कानून में क्या कुछ प्रावधान होने चाहिए।

१. श्री राजीव गांधी की हत्या

श्री राजीव गांधी की हत्या एक मानवीय बम के भेष में एक आतंकवादी ने की। हत्यारे की मौके पर ही मौत हो गई। जो जांच की गई, उसके पीछे यही मंशा थी कि उन षड्यंत्रकारियों तक पहुंचा जाए जिन्होंने इस अपराध को प्रोत्साहित किया और इसमें भाग लिया तथा उन्हें लॉजिस्टिकल मदद दी। टाडा के अंतर्गत मुकदमा चला। स्पष्ट है कि आप षड्यंत्रकारियों के बीच हुई किसी गुप्त बैठक का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं मिल सकता है। इसमें केवल टाडा के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सामने भागीदारों की स्वीकृति ही मिल सकती है, अंततः जिसके आधार पर सजा दिलाई गई।

२. संसद पर हमले का मामला

भारत की संसद पर हमला करने वाले पांच आतकवादियों की मृत्यु मौके पर ही हो गई। षड्यंत्र के बारे में जांच केवल उन्हीं लोगों तक पहुंच सकी जिन्होंने उन्हें लॉजिस्टिकल मदद दी और षड्यंत्र के विभिन्न उपाय करने में भाग लिया। तब पोटा लागू था और इसलिए पोटा के अंतर्गत अपराधों के बारे में की गई स्वीकृति उक्त आरोपित षड्यंत्रकारियों को सजा दिलाने के लिए वास्तविक प्रमाण थे।

३. मुंबई में २६.११.२००८ को हुए हमले

दस आतंकवादियों में से 9 आतंकवादियों की मौत मौके पर ही हो गई। अब जांच इस बात की होगी कि किन लोगों ने आतंकवादी हमलों का आयोजन किया, किन लोगों ने आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया, पाकिस्तान की आईएसआई और अन्य एजेंसियों की उसमें क्या भूमिका थी। जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि किन लोगों ने पैसा दिया, किन लोगों ने आरडीएक्स दिया, किन लोगों ने इसे पहुंचाने की व्यवस्था की और किन लोगों ने आतंकवादियों को स्थानीय एवं लॉजिस्टिकल मदद प्रदान की। स्पष्ट है कि इसका न तो कोई प्रत्यक्षदर्शी है, और न ही षड्यंत्र करांची में रचा गया, इसका कोई सीधा प्रमाण मिल सकेगा। केवल गिरफ्तार आतंकवादी कसाब द्वारा की गई स्वीकृति ही प्रमुख साक्ष्य सामग्री होगी। यदि इसमें सभी स्वीकार्यताओं को निकाल बाहर करेंगे तो भारतीय पुलिस के लिए षड्यंत्र कराची में रचा गया, इसे प्रमाणित करना मुश्किल ही होगा।

आतंक-विरोधी कानून की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

उपर्युक्त के आधार पर आतंक–विरोधी कानून की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार होनी चाहिए। पोटा एक पूरा आतंक–विरोधी कानून था। किसी भी आतंक–विरोधी कानून की विशेषताओं में इन्हें शामिल किया जाना चाहिए–आतंकवादी कियाकलापों की परिभाषा, कानून का आंतरिक प्रादेशिक प्रयोग, आतंकवादी अपराध करने वालों को कड़े दंड का प्रावधान, आतंक को प्रोत्साहन अथवा भड़काने वालों, शरण देने वालों के लिए विशेष प्रावधान, उन लोगों के लिए प्रावधान जो आतंकवादी संगठनों की सदस्यता ग्रहण करते हैं और जारी रखते हैं; आतंकवादियों से और गवाहों को धमकाने वाले लोगों, उनके द्वारा अर्जित की गयी संपत्ति तथा अन्य संपदाओं पर कब्जा करने के प्रावधान।

कानून में आतंकवादी संगठनों को गैर–कानूनी घोषित करने का प्रावधान होना चाहिए, जांच तथा मुकदमा चलाने की विशेष प्रक्रिया होनी चाहिए, समुचित जांच के लिए अधिक अवधि के रिमांड की व्यवस्था रहनी चाहिए, और विशेष अदालतें बनाने का प्रावधान होना चाहिए, कानून में कुछ कियाकलापों को अपराध स्वीकार किया जाना चाहिए और अभियुक्तों पर उन अपराधों को अप्रमाणित करने का दायित्व डाला जाना चाहिए, अभियुक्तों के पासपोर्ट और अन्य यात्रा–दस्तावेजों को जब्त करने तथा समीक्षा समितियों के निर्धारण की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि कानून का दुरूपयोग न किया जा सके।

हमारे कानून की खामियां

कानून में दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सामान्य जमानत प्रावधानों के स्थान पर विशेष जमानत प्रावधान होने चाहिए, टेलीकॉम कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करने तथा उन्हें प्रमाण के रूप में प्रयोग में लाने तथा कुछ सुरक्षा उपायों के साथ आत्मस्वीकृति को मान्य ठहराने का प्रावधान होना चाहिए। यूपीए सरकार पिछले 4 वर्ष और 8 महीनों के शासन में देश के साथ ईमानदार नहीं रही है। वह खुद ही अपने प्रोपेगंडा का शिकार बन गई कि पोटा अल्पसंख्यक समुदाय विरोधी है। उसने पोटा निरस्त कर दिया और इस प्रकार उसने भारत को आतंकवाद की आग में झोंक डाला। बाद में, वह इधर–उधर से कांट–छांट करने के काम में लगी रही। उपर्युक्त उल्लिखित बहुत सारे प्रावधान ज्यों के त्यों विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारक) अधिनियम के 2005 के संशोधनों में लिए गए और शामिल किए गए। किंतु सरकार ने पूरे देश को चार वर्षों तक गुमराह किया तथा कुछ प्रमुख प्रावधानों को हटा कर हमारे जांच कार्यों और अभियोजनों को कमजोर बनाया। ये प्रावधान निम्नलिखित हैं:

क. कुछेक गतिविधियों के बारे में उप-धारणा

यदि किसी व्यक्ति से कोई शस्त्र मिलता है तो उस शस्त्र के रखने वाले पर अपनी निर्दोषिता को सिद्ध करने का दायित्व होगा। इसी प्रकार किसी व्यक्ति के उंगली के निशान किसी शस्त्र अथवा वाहन पर मिलते हैं तो प्रयोक्ता की उपधारणा उस व्यक्ति के खिलाफ जाएगी। यहां तक कि उपधारणाएं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी स्वीकृत हैं। परंतु यूपीए सरकार नहीं चाहती थी कि अभियोजकगण आतंकवाद के खिलाफ इन उपधारणाओं का लाभ उठा सकें। अब इस प्रावधान को ले लिया गया है।

ख. आतंकवादी की जमानत सम्बन्धी विशेष प्रावधान

पूरे विश्व में ऐसे जमानत प्रावधान हैं जिनसे किसी भी आतंकवादी के लिए अधिकांश आतंक–विरोधी कानूनों में जमानत लेना अत्यंत दुष्कर हो जाए। भारत में, 12 विभिन्न कानूनों में विशेष जमानत प्रावधान हैं। ये कानून टाडा और पोटा में थे। इस समय ये कानून महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्रप्रदेश के संगठित अपराध कानून में हैं। ये एनडीपीएस, एससी और एसटी (प्रीवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज) एक्ट 1989, एंटी–हाइजैकिंग एक्ट 1982, प्रीवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट 1984, प्रीवेंशन ऑफ मनीलांड्रिंग एक्ट 2002, सेप्रेशन ऑफ

अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ मेरीन नेवीगेशन 2002, सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एवीएशन एक्ट 1982, टेररिस्ट एफिडेविट एरियाज (स्पेशल कोर्ट्स) एक्ट 1984, वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट 1972 में हैं। अंतर्राष्ट्रीय रूप से, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और कनाडा में जमानत के प्रावधान अत्यंत दुष्कर बनाए गए हैं। सौभाग्य से, अब हाल में ही जमानत के प्रावधानों को मजबूत बनाया गया है।

ग. षड्यंत्रकारी की आत्मस्वीकृति

उच्चतम न्यायालय ने कुछ गाइडलाइनें निर्धारित की हैं कि किन परिस्थितियों और किन सुरक्षा उपायों के साथ किसी अभियुक्त की आत्मस्वीकृति को प्रमाण के रूप में लिया जा सकता है। इन सुरक्षा उपायों में शामिल हैं–

- आत्मस्वीकृति पुलिस अधीक्षक या इससे ऊपर के अधिकारी के पद के पुलिस अफसर के सामने होनी चाहिए।
- आत्मस्वीकृति को ऑडियो या वीडियो डिवाइस में रिकार्ड किया जाए।
- आत्मस्वीकृति किए जाने के 48 घंटे के अंदर अभियुक्त को जज/मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है ताकि आत्मस्वीकृति की स्वैच्छिकता की जांच की जा सके।
- अभियुक्त द्वारा शिकायत किए जाने पर जज अभियुक्त की डाक्टरी परीक्षा करायेगा।

सदैव ही कोर्ट आत्मस्वीकृति की स्वैच्छिकता की जांच कर सकेगा। किंतु किसी आतंकवादी के अपराध की प्रकृति और एनाटॉमी (स्वरूप) ऐसी होती है कि जांचकर्ता कभी भी यह सिद्ध नहीं कर सकता है कि प्रत्यक्षदर्शी गवाह के माध्यम से बंद दरवाजे की बैठक और आतंकवादी प्रशिक्षण कैंप में क्या कुछ हुआ। यहां तक कि अंतर्रोधी काम भी सामान्यतया अपराध के पश्चात् का काम होता है। जिन षड्यंत्रकारियों ने स्व. राजीव गांधी के हत्यारों की मदद की और जिन लोगों ने भारत की संसद पर हमला किया, उन्हें भी आत्मस्वीकृति के बल पर ही दंडित किया गया। यदि आत्मस्वीकृति को निकाल बाहर करेंगे तो और अधिक अपराधियों के बरी होने की आशंका बन जाएगी। षड्यंत्र कराची में रचा गया इसे भी कभी प्रमाणित नहीं किया जा सकता सिवाय इसके कि कसाब की आत्मस्वीकृति ही एक मात्र प्रमाण होगी। ये आत्मस्वीकृति डाटा और पोटा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्रप्रदेश के संगठित अपराध कानूनों के प्रावधानों में हैं। यही प्रावधान एनडीपीएस लॉ, कस्टम अधिकारियों, प्रवर्तन अधिकारियों के सामने की गई प्रस्तुतियों को भी कस्टम एक्ट और फेरा में मान्यता प्राप्त है। इसी प्रकार आतंकवादियों की स्वैच्छिकर्ताओं के अधीन रहते हुए आतंकवादी अपराधों के लिए आत्म स्वीकृति को भी उदारवादी लोकतंत्र देशों में साक्ष्य सामग्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। यूपीए सरकार में राजनीतिक आम सहमति के अभाव को हम अपने कानून में इस प्रावधान को हटाने का आधार नहीं मान सकते हैं। इसमें तो सुरक्षा एजेंसियां तथा जांचकर्ताओं की आम सहमति अधिक सार्थक हैं। इस प्रमुख प्रावधान को हटाने से इस कानून की प्रभावकारिता बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है।

घ. टेलीकम्युनिकेशन में बाधा डालना

वर्तमान कानून में इंटरसेप्ट किए जाने को अनुमति प्राप्त है। जिस प्रकार से यह इंटरसेप्ट किया जा सकता है, जिस सक्षम अधिकारी को इसकी मंजूरी देने की क्षमता है और इस संबंध में दुरूपयोग रोकने के लिए जो सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए, ये सभी प्रावधान पोटा में विद्यमान हैं। वर्तमान कानून से इन्हें हटा दिया गया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी

कानून के अंतर्गत पहला विकल्प आतंकवादी अपराध की जांच के लिए केंद्रीय एजेंसी को दिया गया है। केंद्रीय एजेंसी किसी मामले में राज्य पुलिस जांच कार्य पर स्वयं निर्णय ले सकती है। इसका कारण यह है कि डिफेंस ऑफ इंडिया की सूची 1, प्रविष्टि–1 में केंद्रीय सरकार की जिम्मेदारी है। आतंक–विरोधी कानून का प्रत्यक्ष संबंध 'डिफेंस ऑफ इंडिया' से है। उच्चतम न्यायालय पहले ही कह चुका है कि आतंक–विरोधी कानून केंद्र सरकार के क्षेत्र में आता है। इसलिए यदि केंद्र सरकार कोई सुदृढ़ आतंक–विरोधी कानून बनाती है तो उसके पास आतंकवाद की जांच के लिए एक एजेंसी बनाने का अधिकार है।

आतंकवादी अपराधों के लिए अंतर्राज्यीय खुफिया तंत्र के साथ भागीदार होना आवश्यक हो सकता है; इसमें सीमा पार खुफिया तंत्र भी शामिल है, इसके लिए अनेक राज्यों के पुलिस कर्मियों की आवश्यकता हो सकती है ताकि इन प्रयासों को समन्वित किया जा सके। कुछ अपराधों के लिए आतंकवाद से निपटने के लिए केंद्रीय एजेंसी कहीं कारगर सिद्ध होगी।

निष्कर्ष

आज हमें आतंकवाद की राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ रही है। हमें कारगर आतंक–विरोधी कानून की जरूरत है क्योंकि आतंकवाद का हम पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इससे देश के निवेश माहौल पर बुरा प्रभाव हो रहा है, आतंकवाद से लड़ने के लिए विकास के आर्थिक संसाधन दूसरी दिशा की तरफ मुड़ रहे हैं; इसके कारण हमारे सभ्य समाज की सामाजिक समरसता बिगड़ रही है और वर्गगत विभाजन हो रहा है। मजबूत आतंक–विरोधी उपाय करने से कुछ लोगों का ऐसा वर्ग हो सकता है जो हमसे दूर चला जाए। आतंक–विरोधी उपायों के संसाधनों की दिशा मोड़ देने से हमारी प्रतिरक्षा तैयारियों पर बुरा असर पड़ सकता है।

आज जब हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता के सामने इतनी बड़ी चुनौतियां हों और हमें इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ती हो तो हमें निश्चित ही अंतिम रूप से घोषित कर देना चाहिए कि जब हम आतंक–विरोधी कानून फिर से बना रहे हैं तो ऐसा यह कानून 'सेक्युलर लॉ' की श्रेणी में आता है। इसमें किसी धर्म या जाति की मान्यता नहीं है। यह कानून आतंकवादियों के खिलाफ है, किसी समुदाय के खिलाफ नहीं। दुरूपयोग रोकने के लिए निवारक उपाय (चैक्स) करेंगे। आतंक से लड़ने के लिए सामान्य कानून काफी नहीं है। परंतु यह कानून एक हिचकिचाहट से भरी सरकार का अधूरा उपाय मात्र है। एक राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में हम इसके अधूरेपन के लिए संघर्ष करेंगे, परंतु फिर भी हम आपके इस आधे–अधूरे उपाय का समर्थन करते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि आज जब हम इस उपाय का समर्थन कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि यह राष्ट्रीय आवश्यकता है। लगता यह है कि सरकार और उनके सहयोगी दल इस कानून को लाने में ज्यादा 'एपोलॉजाटिक' हैं। ■

छद्म पंथनिरपेक्षता व आतंकवाद– राष्ट्र के लिए गंभीर चुनौती विषयक गोष्ठी

यह आतंकवाद नहीं युद्ध है : अरुण शौरी

jkष्ट्र को बचाने के लिए जातिवाद जैसे स्वार्थ को त्याग कर जनप्रतिनिधियों (विद्यानसभा और लोकसभा) का चुनाव करना होगा। क्योंकि यही लोग राष्ट्र के लिए नीति बनाने व लागू करने में सक्षम होते है। जातिवाद आधारित नीति ने इस राष्ट को प्रत्येक क्षेत्र में खोखला करने का काम किया है। क्योंकि इस नीति के तहत हमने जिसे चुनकर भेजा वे सत्य से मुंह चुराकर वोट की राजनीति के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इस राजनीति ने अफजल गुरू जैसे राष्ट्र द्रोहियों को फांसी पर लटकाने के कार्य को रोकने का काम किया है। जब कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के हत्यारे को फांसी के फंदे पर चढ़ाने के समय किसी पंथ आधारित आतंकवाद की याद नहीं आई। उक्त बातें प्रख्यात पत्रकार, आर्थिक व राजनीतिक विश्लेषक और राज्यसभा सदस्य अरूण शौरी ने हजारीबाग (झारखण्ड) नगर भवन में आयोजित गोष्ठी को संबोधित करते हुए कही। वे भारतीय जनता पार्टी साहित्य प्रकोष्ठ के तत्वावधान में 13 दिसम्बर 2008 को '' छद्म पंथनिरपेक्षता एवं आतंकवाद– दोनों राष्ट्र के लिए गंभीर चुनौती'' विषय पर आयोजित गाष्ठी को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि आतंकवाद की जड़ों के मजबूत होने का कारण यदि हम नहीं देख पा रहे हैं, तो इसका कारण छद्म पंथनिपेक्षता है। इसी भ्रामक नजरिये के कारण हम यह नहीं देख पाते हैं कि आखिर किस विचारधारा के प्रभाव में आकर एक आतंकवादी अपने को मार कर भी अपने मकसद को पूरा करने को तैयार हो जाता है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे संगठन व मदरसे हैं, जो राष्ट्र के भीतर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन हम छद्म पंथनिरपेक्षता की बात कर इनके क्रियाकलापों को नहीं टटोलते हैं।

श्री शौरी ने कहा कि पाकिस्तान इस देश को तोड़ने के लिए प्रारंभ से ही लगा हुआ है। पाकिस्तान के गठन के बाद से ही तीनों युद्धों में जब उसे यह लगा कि पारंपारिक युद्ध में वह भारत को मात नहीं दे सकता तो 35 वर्षों से वह प्रायोजित आतंकवाद के सहारे भारत से छद्म रूप से युद्ध लड़ रहा है। इस पाक प्रायोजित आतंकवाद के कारण अब तक हमारे 65 हजार से ज्यादा लोग मारे गये है। केवल 2008 में देश में 49 आतंकवादी वारदातों में 25 सौ लोग मारे गये। उन्होंने कहा कि हम भले ही इसे कभी लश्कार–ए–तोयबा तो कभी इंडियन मुजाहिदिन, हिजबुल मुजाहिदिन जैसे अलग–अलग गुटों का आक्रमण मानें। लेकिन ये सभी पाकिस्तान की आई. एस. आई प्रायोजित घटनाएं हैं और आई.एस. आई को संचालित करने का काम पाकिस्तान की सेना के पदाधिकारी करते हैं। शौरी ने कहा कि वैसे भी पाकिस्तान को एक रखने का काम मुस्लिम धर्म नही करता। वहां कभी शिया–सुन्नी तो कभी अन्य बातों के झगड़े होते रहते हैं। पाकिस्तान को एक रखने का काम सिर्फ भारत विरोध के नाम पर होता है।

उन्होंने कहा कि पंथनिरपेक्षता के नाम पर राजनीति में जो कुछ हो रहा है उससे मुसलमानों का भी भला नहीं हुआ है। यह छद्म पंथनिरपेक्षता आम लोगों को गुमराह कर तात्कालिक लाभ लेने का जरिया मात्र है, और इसी तरह की राजनीतिक साजिश इस लिए सफल हो रही है। क्योंकि हम किसी चीज के विस्तार में नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह कहा जाता है कि सिख धर्म इस्लाम के ज्यादा नजदीक है, जबकि सच्चाई यह है कि श्रीराम का नाम गुरूग्रंथ साहब में दस हजार बार तथा श्रीकृष्ण का नाम 2007 बार आता है, शौरी ने कहा कि इन्हीं भ्रामक नजरिये एवं वोट की राजनीति के कारण आतंकवाद हमारे यहां फल–फूल रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की नीति के खिलाफ उसी की शैली में जवाब देना होगा। श्री शौरी ने कहा कि आजादी के बाद देश में चुनाव प्रणाली आयी धीरे–धीरे चुनाव में वोट का प्रचलन बढ़ता गया। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर वोट की राजनीति हो रही है। फिर प्रो– माइनारिटी का दौर प्रारम्भ हुआ। फिर वोट प्राप्त करने के लिए एंटीमेजोरीटी का प्रचलन शुरू हुआ और हमारे देश में पाकिस्तान प्रेमी होना धर्म–निरपेक्षता माना जाने लगा। इस से भी बात बनी नहीं तो अब हिन्दूआतंकवाद पंथ निरपेक्षता की पहचान बन गई।

श्री शौरी ने कहा कि भले ही कभी परवेज मुशर्रफ तो कभी आसिफ अली जरदारी तो कभी बेनजीर भुट्टो भारत में आतंकी हमले को अपने देश पाकिस्तान से संचालित न करने का आश्वासन दें, यह कतई सम्भव नहीं है। हमें सत्य को समझना होगा। हम पाकिस्तान के परमाणु बम को लेकर चिंतित है। किन्तु हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान भी हमारे परमाणु बमों से चिंतित हो सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद समाप्त करना है तो जैसे पाकिस्तान कई दशकों से जम्मू–कश्मीर में जिस नीति के तहत काम करे हैं ठीक वैसे ही हमें भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान या अन्य क्षेत्रों में इसी नीति के अन्तर्गत काम प्रारंम्भ

कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की नीति के खिलाफ हमारा चुप रहना आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। श्री शौरी ने कहा कि इस मुद्दे पर भारत की चुप्पी और सहिष्णु बने रहने का दिखावा हमें पाकिस्तान के एक कवि जोश की पंक्तियों की याद ताजा कर देते हैं, '' इंसानियत की भी हद होती है, जुल्म करता है दुश्मन और हम सहे जाते हैं।''

उन्होंने कहा कि सच्चर कमेटी का यह मानना है कि अल्पसंख्यक पिछड़े हैं। किन्तु सरकार स्वयं एवं उनके रहनुमा मौलान है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आज देश के एकराज्य पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक सब से पिछड़े हैं। यह अलग बात है कि उन के रहनुमा वहां पर पिछले 30 वर्षों से सत्ता पर काबिज हैं।

गोष्ठी के मुख्य अतिथि पूर्व केन्द्रीय मंत्री भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज्यसभा सदस्य श्री यशवन्त सिन्हा ने कहा कि पंथ और धर्म दोनों अलग–अलग है। पंथ पूजा पद्धति जो अलग–अलग हो सकती है। वहीं धर्म जीवन जीने का तरीका है। जो भारत में रहने वालों के लिए एक समान है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इस से निपटने कके लिए युद्ध ही समाधान है। उन्होंने केन्द्र सरकार की मुस्लिमपरस्त नीति को राष्ट्र के लिए घातक बताया।

गोष्ठी को सम्बोधित करते हुये झारखण्ड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री पशुपति नाथ सिंह ने कहा कि पंथ निरपेक्षता को सांप्रदायिकरण का जामा पहनाया जा रहा है। प्रो. बंशीधर रूखैयार ने गोष्ठी का विषय प्रवेश करते हुए कहा कि भारत स्वभाव से ही पंथ निरपेक्ष देश रहा है। इस लिए संविधान निर्माण के समय धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। संविधान संशोधन के बाद भारत पंथ निरपेक्षक देश घोषित हुआ। इस पंथ निरपेक्षता की आड़ में छद्म पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा मिला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, बंगलादेश आदि में आतंकवाद की पौधशाला है। भारत ही नहीं विश्व तभी आतंकवाद से निबट सकता है जब इन संगठनों की वित्तिय रेखा को काटा जाये। इन संगठनों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जाये और आतंरिक सुरक्षा को मजबूत किया जाय।

साहित्य प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्री सांवर मल अग्रवाल ने गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुये गोष्ठी में पधारे अतिथियों का स्वागत सम्बोधन करते हुये कहा कि पंथ निरपेक्षता की आड़ में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले वे लोग है जिन्हें राष्ट्र से अधिक सत्ता प्यारी है। ऐसे लोग सत्ता मोह में आतंकवाद के खिलाफ चुप्प रहते हैं ताकि चुनाव में उन के वोट मिल जाय। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ अब देश को सर्जीकल वार, खुले युद्ध के लिए तैयार होने की जरूरत है।

गोष्ठी का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री यशवन्त सिन्हा, मुख्यवक्ता श्री अरूण शौरी, प्रदेश अध्यक्ष श्री पशुपति नाथ सिंह, साहित्य प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सांवर मल अग्रवाल व प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मुकुन्द साव ने दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य वक्ता अरूण शौरी को श्री अग्रवाल ने स्मृति चिन्ह भेंट किया, गोष्ठी के संयोजक चन्दन सिंह ने शौरी को शॉल ओढ़कर सम्मनित किया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री यशवन्त सिन्हा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री पशुपति नाथ सिंह को साहित्य प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्री सांवर मल अग्रवाल द्वारा शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। गाष्ठी के प्रारंम्भ में साहित्य प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष श्री मुकुन्द साव ने माल्यार्पण कर अतिथियों का स्वागत किया। गोष्ठी में भाजपा जिला अध्यक्ष हरि प्रकाश ओझा, विधायक लोकनाथ महतो, पूर्व सांसद महाबीर लाल विश्वकर्मा पूर्व विधायक देवदयाल कुशवाहा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश हर्षधर मुख्य रूप से उपस्थित थे। गोष्ठी का संचालन साहित्य प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री अमरेन्द्र गुप्ता ने तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रकोष्ठ के प्रदेश मंत्री डा0 संजय सिंह ने किया। ■

श्रद्धांजलि

बाबा साहब नातू का निधन

मध्य क्षेत्र के पूर्व क्षेत्र प्रचारक बाबा साहब नातू का 15 दिसम्बर 2008 को आकस्मिक निधन हो गया। वे गत कुछ वर्षों से अस्वस्थ चल रहे थे।

बाबा साहब मध्यभारत की पहली पीढ़ी के उन प्रचारकों में से एक थे जिन्होंने संघ कार्य को वैचारिक धरातल पर ग्रहण ही नहीं किया था अपितु संघ कार्य उनके रंग–रंग में समाया हुआ था। वे संघमय थे।

1923 में मध्यप्रदेश के धार जिले के सरदारपुर के एक सम्पन्न परिवार में बाबासाहब का जन्म हुआ था। स्कूली शिक्षा के दौरान ही वे संघ के सम्पर्क में आ गये थे। सन् 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के झूठे आरोप में जब संघ पर प्रतिबंध लगा तब भी बाबा साहब ने गुप्त तरीके से संघ कार्य प्रारंभ रंखा उनके काम करने की पद्धति विशिष्ट थी।

बाबा साहब जिला प्रचारक रहे, विभाग प्रचारक रहे, प्रांत प्रचारक रहे , क्षेत्र प्रचारक रहे। अस्वस्थ होने पर उन्होंने दायित्व से मुक्ति मांग ली थी। मगर वे उत्तरदायित्व से निवृत्त हुए थे, काम से नहीं।

उनके निधन के समाचार से सर्वत्र शोक की लहर फैल गयी। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं सहित राष्ट्रीय स्वयंसवेक संघ के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उनके अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान संघ सह सरकार्यवाह श्री सुरेश सोनी, भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री सौदान सिंह, राष्ट्रीय सचिव श्री प्रभात झा, भारतीय किसान संघ के श्री प्रभाकर केलकर, श्री अरविन्द मोघे क्षेत्रीय प्रचारक श्री विनोदजी, श्री गोपालजी व्यास, प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री माखन सिंह, श्री अनिलदवे, श्री सुन्दरलाल पटवा, श्री कैलाश जोशी, श्री नरोत्तम मिश्र, श्री कैलाश सारंग, श्री कैलाश वर्गीय, श्री जयंत मलैया, श्री उमाशंकर गुप्ता, श्रीधर पराड़कर आदि वरिष्ठ नेतागण व हजारों की संख्या में कार्यकर्तागण सम्मलित हुए।

राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से पंगु हो चुकी है असम पुलिस

तरुण गोगोई सरकार के सात साल के कार्यकाल में राज्य में बम विस्फोट की 605 घटनाएं हुई हैं जिनमें अब तक कुल 1517 लोगों की मौत को चुकी है।

पुलिस विभाग पर आरोप लगाया जा रहा है कि राजनीतिक दखलंदाजी की वजह से वह ठीक से अपना काम नहीं कर पा रहा है और असम में हो रही हिंसक वारदातों के गुनहगारों को पकड़ने में नाकाम होता जा रहा है। असम पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारियों और सामान्य सिपाहियों के खिलाफ आपराधिक और सामान्य सिपाहियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। तरूण गोगोई सरकार के कार्यकाल में पुलिसकर्मियों के खिलाफ 274 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इस अवधि में अपराध में शामिल होने के आरोप में कुल 2500 पुलिसकर्मी निलंबित हो चुके हैं। आरोप यह भी लगाया जाता है कि आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामले की जांच करने में पुलिस जानबूझकर ढिलाई बरती है। जिस तरह के मामले पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज हैं उनमें धन उगाही, हत्या, डकैती, चोरी, फर्जी मुठभेड़ और जमीन हड़पने के मामले प्रमुख हैं।

असम पुलिस पर आरोप है कि राज्य में लगातार हो रहे बम धमाकों के असली गुनहगारों को पकड़ने की जगह वह बेगुनाह लोगों को पकड़कर उन्हें यंत्रणाएं देती है ओर अपराध साबित नहीं हो पाने पर ऐसे लोग बाद में रिहा होते रहे हैं। असम में कानून–व्यवस्था की स्थिति बहाल रखने और उग्रवादियों की गतिविधियां नियंत्रित करने में पुलिस विभाग की नाकामी की वजह से राज्यवासियों के मन में आक्रोश बढ़ता गया है। इस तरह के सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि निकम्मेपन की वजह से पुलिस गुनाहगारों का पता लगा नहीं पाती है या किसी का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए राजनीति स्वार्थ सिद्धि की वजह से ही असम पुलिस अपने कर्त्तव्य का ठीक से पालन नहीं कर पा रही है।

तरूण गोगोई सरकार के सात साल के कार्यकाल में राज्य में बम विस्फोट की 605 घटनाएं हुई हैं। वर्ष 2002 में 18 बम विस्फोट की घटनाएं हुईं, 2003 में बम विस्फोट की 19 घटनाएं हुईं, 2004 में बम विस्फोट की 103 घटनाएं हुईं, 2005 में बम विस्फोट की 21 घटनाएं हुईं, 2006 में बम विस्फोट की 46 घटनाएं हुईं, 2007 में 70 और 2008 में अब तक बम विस्फोट की 82 घटनाएं हुई। इन धमाकों में कुल 1517 लोगों की मौत को चुकी है। गोगोई सरकार के कार्यकाल में उग्रवादियों की हिंसा में तकरीबन छह हजार लोग मारे जा चुके हैं। राज्य में 57 हजार पुलिसकर्मी तैनात हैं। इसके बावजूद कानून–व्यवस्था की स्थिति शोचनीय बनी हुई है। लगातार हो रही हिंसक घटनाओं के असली दोषी को पकड़ पाने में हर बार पुलिस असफल ही साबित होती है।

पंद्रह अगस्त 2004 को असम में धेमाजी शहर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान बम विस्फोट हुआ था। उल्फा के एक सदस्य को गिरफ्तार किया था जिसने बताया था कि कांग्रेस के एक मंत्री ने विस्फोट करने

घुसपैठ का नतीजा भुगत रहा है असम

असम बड़े स्तर पर हुए घुसपैठ का नतीजा भुगत रहा है। यह किसी नेता का बयान नहीं बल्कि सत्तारूढ़ कांग्रेस–बीपीएफ की सरकार ने 13वें वित्त आयोग को दिए ज्ञापन में कही है। उल्लेखनीय है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी पार्टी असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एयूडीएफ) अक्सर कहती आई है कि असम में जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय दर से कम है। यह इसलिए कहा जाता है ताकि राज्य में इस घुसपैठ के खिलाफ आंदोलन न हो। खुद कांग्रेस–बीपीएफ सरकार ने जनगणना के आंकड़ों के आधार पर कहा है कि राष्ट्रीय स्तर की तुलना में असम की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज्यादा है।

ज्ञापन में सरकार की ओर से कहा गया है कि पिछली शताब्दी के ज्यादातर दशकों में असम की जनसंख्या वृद्धि दर सामान्य से बहुत ज्यादा रही। देश के विभाजन और बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन को देश की राष्ट्रीय समस्याएं बताते हुए ज्ञापन में कहा गया है कि असम को ही सिर्फ अतिरिक्त जनसंख्या का बोझ उठाना पड़ा है। सामान्य समय पर भी पड़ोसी देशों और राज्यों से निरंतर लोग आते रहते हैं।

जनगणना आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर

o"k	jkT; Lrj	jk"Vªh; Lrj
1911	17 प्रतिशत	5.8 प्रतिशत
1921	20.5 प्रतिशत	0.3 प्रतिशत
1931	19.9 प्रतिशत	11 प्रतिशत
1941	20.4 प्रतिशत	14.2 प्रतिशत
1951	19.9 प्रतिशत	13.3 प्रतिशत
1961	35 प्रतिशत	21.5 प्रतिशत
1971	35 प्रतिशत	24.8 प्रतिशत
1981	असम में जनगणना नहीं	
1991	24.2 प्रतिशत	23.9 प्रतिशत
2001	18.9 प्रतिशत	21.5 प्रतिशत

सिर्फ 2001 में राष्ट्रीय वृद्धि दर से असम की जनसंख्या वृद्धि दर कम रिकार्ड हुई।

वाले उल्फा सदस्य को मोबाइल फोन का सिम कार्ड मुहैया करवाया था। मंत्री का नाम सामने आने के तुरंत बाद पुलिस ने घटना की जांच को बंद कर दिया था। धेमाजी की घटना के बाद पुलिस ने तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था जिन्हें बाद में सबूत नहीं होने की वजह से रिहा कर दिया गया था।

इसके बाद काकोपथार में नरसंहार हुआ था और असली गुनहगार को पकड़ने की जगह पुलिस ने लगभग सौ ग्रामीणों को पकड़कर पूछताछ के नाम पर उनसे मारपीट की थी। जनता के रोष को देखते हुए मुख्यमंत्री तरूण गोगोई ने धेमाजी और काकोपथार की घटना की जांच सीबीआई से करवाने की घोषणा की थी लेकिन आज तक उस घोषणा पर अमल नहीं किया गया।

नौ जनवरी 2007 को असम विधानसभा के प्रवेश द्वार के सामने बम विस्फोट हुआ था जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। उस दिन पुलिस ने कहा था कि धमाके के पीछे जेहादी ताकतों का हाथ था। उसी दिन गुवाहाटी के अलग–अलग इलाकों से पुलिस ने 72 लोगों को गिरफ्तार किया था। बाद में सभी लोगों को पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया।

विधानसभा के प्रवेश द्वार के सामने मोटरसाइकिल पर बम फटा था। मोटर साइकिल के मालिक की शिनाख्त हुई थी लेकिन उसे पकड़ने में पुलिस नाकाम रही।

पुलिस ने गुनाहगार के रूप में नजरूल हक नामक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया था दो मई अदालत ने बेगुनाह बताकर बरी कर दिया था। दो मई 2007 को बोंगाईगांव शहर में हुए बम धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 15 लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने संदेह के आधार पर तीन व्यक्तियों की गिरफ्तार किया था जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। उस समय भी असली गुनाहगार का पता लगाने में पुलिस नाकाम रही।

23 जून 2007 को गुवाहाटी में हुए बम धमाके में छह लोग मारे गए थे और दस घायल हो गए थे। इस घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को पकड़ने में पुलिस नाकाम रही। 20 जुलाई 2007 को श्रीरामपुर में दो बम विस्फोट हुए जिसमें चार व्यक्तियों की मौत हो गई और 12 व्यक्ति घायल हो गए थे। पुलिस ने संदेह के आधार पर बोडोलैंड अल्पसंख्यक परिषद के छह नेताओं को गिरफ्तार किया। फिर पुलिस ने उनको रिहा करते हुए बताया कि एनडीएफबी के सदस्यों ने धमाके किए थे। लेकिन पुलिस असली गुनहगार को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। जुलाई 2007 को तिसुकिया–डुमडुमा–डिफू में सिलसिलेवार बम धमाके हुए।

पहले पुलिस ने बताया कि उग्रवादी संगठन केएनएलएफ ने धमाके किए थे। फिर पुलिस ने मेरापानी से 22 युवक–युवतियों को गिरफ्तार कर उन पर थर्ड डिग्री का प्रयोग किया था लेकिन हमेशा की तरह वह असली गुनाहगार का पता लगा पाने में असफल रही थी।

पिछले साल राज्य में बम धमाके की कई घटनाएं हुईं। 27 मई 2007 को गुवाहाटी के आठगांव इलाके में बम विस्फोट की वजह से सात व्यक्ति मारे गए और लोगों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा भड़कने लगा। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए पुलिस ने धमाके के अगले दिन फर्जी मुठभेड़ में दो नौजवानों को ठिकाने लगा दिया था। काफी दिनों तक दोनों नौजवानों की शिनाख्त नहीं हो पाई थी।

–दिनकर कुमार की एक रिपोर्ट(साभार जनसत्ता)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

स्पैक्ट्रम घोटाला

भाजपा ने की संसदीय समिति से जांच की मांग

&laoknnkrk }kjk

दूरसंचार मंत्रालय द्वारा स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले से देश के राजकोष को हजारों करोड़ों रुपए का चूना लगा है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला बताते हुए इस मामले में प्रधानमंत्री की चुप्पी पर प्रहार करते हुए संयुक्त संसदीय समिति, (जेपीसी) से जांच की मांग की हैं।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद श्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजा ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने उन्हें पत्र लिखकर स्पेक्ट्रम का अपारदर्शी वितरण करने का सुझाव दिया है। यदि वास्तव में ऐसा कोई पत्र लिखा गया है तो भाजपा यह मांग करती है कि राजा इस पत्र को सार्वजनिक करें। उन्होंने दावा किया कि देश में उठ रहा स्पेक्ट्रम विवाद शीघ्र ही सारे घोटालों की जननी साबित होगा। विदित हो कि राज्य सभा में राजा ने कहा था कि उन्होंने जो कुछ किया वह प्रधानमंत्री के निर्देश पर किया। श्री जावडेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री की चुप्पी रहस्यमय है। उन्हें उस चिट्ठी का खुलासा करना चाहिए ताकि जनता सच्चाई जान सके। भाजपा ने इसकी जांच संयुक्त समिति से करवाने की मांग की। लेकिन, सरकार ने इसे नजरअंदाज कर दिया।

गौरतलब है कि संचार मंत्रालय ने 2001 की लाइसेंस दरों पर 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर पात्रता का गलत मानदंड अपनाया। ऐसा ग्राहकों के लिए कथित रूप से लागत कम करने के लिए किया गया था, लेकिन लाइसेंस की शर्तों को लागू नहीं किया गया। जिन लोगों को स्पेक्ट्रम आवंटन हुआ, उन्होंने कुछ ही दिन बाद भारी मुनाफे में अपने शेयर बेच दिए। स्पेक्ट्रम आवंटन में गंभीर घोटाला हुआ है। यह खुला घोटाला है, जिससे राजकोष को भारी नुकसान हुआ है। यह देश के अब तक के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक है। ■
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

बंगलादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध विशाल आन्दोलन

राष्ट्रवाद की गूंज

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की बांग्लादेशी घुसपैठ विरोधी आन्दोलन की प्रस्तावित रैली 17 दिसम्बर को किशनगंज (बिहार) के रूइधासा मैदान में मुम्बई हमलों में अपनी जान गंवाने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रारम्भ हुई जिसकी अध्यक्षता विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा0 रामनरेश सिंह ने की। इस सभा में मंच पर राष्ट्रीय महामंत्री सुरेश भट्ट, घुसपैठ विरोधी आन्दोलन के राष्ट्रीय संयोजक सुनील बंसल, राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील अम्बेकर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मिलिंद मराठे व जय कुमार , सभी राष्ट्रीय मंत्री और प्रत्येक प्रदेश के प्रदेशमंत्री उपस्थित थे। उपस्थित रैली को विभिन्न छात्रों नेताओं ने सम्बोधित करते हुए एक आवाज में बांग्लादेशियों को भारत से बाहर निकालने के लिए पुरजोर तरीके से अपनी आवाज उठाई। राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील अम्बेकर ने कहा कि 1971 में जो बांग्लादेश दोस्त था वही आज भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा बन गया है।

वर्तमान का बांग्लादेश निश्चित रूप में पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठनों की सहयोग भूमि बन गया है। उन्होंने कहा कि जब हम आतंकवाद की बात कर रहे हैं तो हमें विश्व समुदाय को केवल पाकिस्तान नहीं अपितु बांग्लादेश की गतिविधियों को भी गंभीरता से लेते हुए बांग्लादेश के प्रति कड़ा रूख अपनाना होगा।

राष्ट्रीय महामंत्री सुरेश भट्ट ने अपने सम्बोधन में कहा कि घुसपैठ समस्या कोई सुनामी नहीं है जिसका हम यह कह कर छुटकारा नहीं पा सकते कि हमें मालमू नहीं था यह अचानक हो गया। यंह समस्या पिछले 30 वर्षों से लगातार हो रही है जिसे लेकर केन्द्र सरकार व राज्य सरकारें खामोश है। उन्होंने केन्द्र व राज्य सरकार को चेताते हुए कहा कि यदि हम चिकन नेक के लिए हजारों छात्रों को इस समस्या के लिए आन्दोलित करवा सकते है तो देश की संसद व राज्य विधानसभाएं भी अब छूट जाएंगी ऐसा बिल्कुल अनुमान न लगाएं।

इसी आन्दोलन के राष्ट्रीय संयोजक सुनील कुमार बंसल ने कहा कि विद्यार्थी परिषद ने आज तक देश के कोने –कोने में जहां भी काई राष्ट्रीय संकट गहराया है तो जंतर – मंतर पर सांकेतिक धरने नहीं दिए बल्कि वहीं जाकर आन्दोलन किया है जहां समस्या

रही है। पूरे आन्दोलन की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि घुसपैठ को लेकर पूर्ण रूप से बांग्लादेश का हाथ है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है।

उन्होंने कहा कि पूरे आन्दोलन में देश भर के छात्रों युवाओं मे आक्रोश है जिसकी मिसाल 12 नवम्बर 2008 को सभी प्रांतों के एक ही दिन 25 हजार शिक्षा संस्थान इस घुसपैठ मुद्दे पर बिल्कुल बन्द रहे।

उन्होंने कहा कि देश में तीन करोड़ से ज्यादा इन घुसपैठियों की संख्या चिन्ता का विषय है लेकिन जनता आखिर क्यों प्रश्न नहीं कर रही है कि इनके राशन कार्ड, वोटर कार्ड कैसे बने। अपने अध्यक्षीय भाषण में विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा0 रामनरेश सिंह ने कहा कि विद्यार्थी परिषद का यह आन्दोलन देश के राजनैतिक सत्तालोलुप नेताओं के विरुद्ध भी खुली चुनौती है जो वोट बैंक की राजनीति के कारण खामोश बैठे हैं।

उन्होंने देश भर से आए छात्र – छात्राओं को भारत मां का संकल्प दिलाते हुए कहा कि हम भारत की एकता एवं अखण्डता के साथ किसी भी प्रकार के समझौते को गलत मानते हैं और अपनी पूरी शक्ति के साथ ऐसे समझौते करने वाले राष्ट्रविरोधियों व अलगाववादी मानसिकता के आधार पर आतंकवाद फैलाने वालों व घुसपैठियों के माध्यम से विभाजनकारी ताकतों को परास्त करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं।

विद्यार्थी परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रीय महामंत्री सुरेश भट्ट की अगुवाई में किशनगंज जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने भी गया जिसमें प्रधानमंत्री से मांग कि गई है कि सीमा सुरक्षा को प्रभावी बनाकर आवश्यक कदम तुरन्त उठाए जाएं जैसे भारत– बांग्लादेश की पूरी सीमा सील करे।

घुसपैठियों को प्राप्त हो रहा संरक्षण तुरन्त समाप्त होना जरूरी है इसके लिए 1951 की एन0 आर0 सी0 (भारतीय नागरिक पंजीयन) के आधार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करे। इस हेतु 3 डी नीति डीटेक्ट, डिलिट व डिपोर्ट नीति अपनाई जाए।

सीमा सुरक्षा में समाज की भूमिका महत्वपूर्ण हो। उत्तर –पूर्वी राज्यों में घुसपैठ समस्या अधिक गम्भीर है, इसके लिए त्वरित व्यापक सुरक्षा प्रबंन्ध हों व चिकन नेक क्षेत्र को अवैध निर्माणों से भी तुरन्त खाली कराया जाए।■

एक यशस्वी जीवन यात्रा...

ओमप्रकाश गोयल जी का जन्म 31 जनवरी 1926 को अविभाजित पंजाब के करनाल में हुआ। उनके पिता लाला पृथ्वीनाथ जी सर्राफ का व्यवसाय करते थे। अपने सीधे साधे स्वभाव और कर्मकांड वाली दिनचर्या के कारण व्यवसाय नहीं चला सके, इसलिए कर्ज में डूब गए। वेदप्रकाशजी के बड़े भाई मोहनलाल जी गोयल ने तो घरेलू परिस्थितियों के कारण हाईस्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन उन्होंने वेदप्रकाशजी को उच्च शिक्षा के लिए खूब प्रोत्साहित किया। उन दिनों गोयल परिवार अंबाला कंटोनमेंट में रहता था। वहीं से मैट्रिक की पढ़ाई पूर्ण करने के बाद 1944 में लाहौर के डीएवी कॉलेज से इंटर साइंस की परीक्षा पास की।

वेदप्रकाश जी हमेशा प्रथम आते थे, इसलिए उन्हें हमेशा ऊंचे दर्जे की पढ़ाई का लालच रहता था। पंजाब में इंजीनियरिंग कॉलेज में आरक्षण पद्धति के कारण नामांकन नहीं मिल रहा था, तभी वरदान स्वरूप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग में उनका पंजाब से चयन हो गया।

लगातार छात्रवृत्ति से पढ़ाई पूरी करनेवाले वेदप्रकाशजी के सामने बनारस जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने की समस्या खड़ी हो गई। परिवार की आर्थिक हालत खराब थी। इसलिए पढ़ाई का खर्च कहां से आएगा? इसी उधेड़बुन में थे ही कि फिर से छात्रवृत्ति का प्रबंध हो गया। हुआ यूं कि वेदजी आठवीं कक्षा से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा पर जाने लगे थे। पंजाब में आर्य समाज का उन दिनों काफी प्रभाव था। दोनों जगह संबंध रहने से संपर्क बढ़ा, तो एक

भाजपा नेता वेदप्रकाश गोयल नहीं रहे

भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री वेदप्रकाश गोयल का 17 नवंबर को मुम्बई में निधन हो गया। वे 82 वर्ष के थे। राज्यसभा के पूर्व सदस्य श्री गोयल एन.डी.ए. सरकार में नौवहन मंत्री थे। वे अनेक वर्षों तक भाजपा के विदेशी मित्रों के कार्यकलापों की देखरेख करते रहे। श्री गोयल अपने पीछे पत्नी श्रीमती चन्द्रकांता गोयल, महाराष्ट्र विधानसभा की पूर्व विधायक, पुत्रियां प्रमिला व प्रतिभा और पुत्र प्रदीप तथा पीयूष को छोड़कर इस संसार से विदा हो गए। श्री गोयल के निधन पर भाजपा ने शोक व्यक्त किया है। वरिष्ठ भाजपा नेता व लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी श्री गोयल की अंत्येष्टि में शामिल होने और उनके शोकसंतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए मुम्बई पहुंचे। श्री आडवाणी ने दिवगंत नेता के प्रति भावभीनी श्रध्दाजंलि अर्पित करते हुए कहा,''श्री वेदप्रकाश जी भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता थे जिन्होंने छह दशकों से अधिक पार्टी की सेवा की और अनुकरणीय निष्ठा एवं समर्पण की भावना के साथ–साथ हमारे वैचारिक आंदोलन में शामिल रहे।'' भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री गोपीनाथ मुंडे ने श्री गोयल के निधन पर शोक जताते हुए उन्हें पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता बताया। उन्होंने यहां कहा कि श्री गोयल जनसंघ के समय से ही संगठन के लिए काम करते थे तथा उन्होंने संकट के समय में भी पार्टी के लिए काम किया था। ■

एक आदर्श राजनेता चला गया : अटलजी

श्री वेद प्रकाश गोयल के निधन से एक निकट सहयोगी, कर्मठ कार्यकर्ता और आदर्श राजनेता चला गया। श्री गोयल सुखः दुखः के साथी रहे है। जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी के अब तक के सफर में वे कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे। जो जिम्मेवारी उन्हें मिली, उसे बखूबी निभाया। मगर पिछले कुछ समय से बीमारी ने उन्हें घेर लिया था और उससे संघर्ष करते–करते वे हम सबको छोड़कर चले गए। उनका निधन मेरी निजी क्षति है। अपने निकट सहयोगी और सहयात्री के निधन पर मेरे पास शोक व्यक्त करने को शब्द नहीं हैं। बस, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि प्रभु उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिजनों को यह दुःख सहने की शक्ति दे। ■

संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता ने 25 रू. प्रतिमाह की छात्रवृत्ति देना शुरू कर दिया। चाह को राह तो मिल ही जाती है... पढ़ाई के लिए प्रवेश तो मिला ही। वहां रहने के लिए छात्रावास भी मुफ्त में मिल गया। इस तरह आर्थिक तंगी के बीच इंजीनियरिंग की 4 साल की पढ़ाई पूरी कर ली।

वेद प्रकाश जी प्रारंभ से ही मेधावी छात्र रहे। इंटर की परीक्षा में उन्हें गणित में शत प्रतिशत नंबर नहीं मिले। तो वेदजी दुःखी हो गए। उन्हें 99 नंबर ही मिले। इस पर सब हितैषियों ने कहा जाने दो। तुम तो इंजीनियरिंग के लिए चुने ही लिए जाओगे। लेकिन वेदजी नहीं माने। उन्होंने गणित की परीक्षा दुबारा दी और शत प्रतिशत नंबर लेकर ही माने।

वेदजी की मेधाशक्ति और परिश्रम ने उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज में भी लोकप्रिय बना दिया। बनारस में हरेक प्रांत के स्वयंसेवकों से संपर्क हुआ। देखते ही देखते स्वयंसेवकों का एक ग्रुप भी बन गया। उनमें आज विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता अशोक सिंघल, हिंदुस्तान समाचार और बाद में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के बालेश्वर अग्रवाल और स्व. राजेंद्र शर्मा के नाम उल्लेखनीय हैं। शाम को सभी शाखा पर जाते थे। वहां वेदजी भाऊराव देवरस के संपर्क में आए। वह संपर्क घनिष्ठता में बदल गया। वेदजी, भले ही गुरूजी, अटलजी, आडवाणीजी जैसे महापुरूषों के करीबी रहे लेकिन भाऊराव देवरसजी के व्यक्तित्व का प्रभाव उन पर सबसे ज्यादा रहा। भाऊरावजी उत्तर प्रदेश के प्रांत प्रचारक भी थे जो पूर्णतः कांग्रेस के प्रभाव में था। 1947 का वर्ष बहुत उथल पुथल भरा था। संघ कार्य के प्रसार के लिए भाऊराव देवरस, बापूराव मोघे, नानाजी देशमुख सहित कई लोग उत्तर प्रदेश में काम कर रहे थे। प्रयास यह था कि अधिक से अधिक लोग प्रचार के लिए निकलें।

वेदप्रकाशजी इंजीनियरिंग के तृतीय वर्ष की पढ़ाई पूरी कर रहे थे तभी उनके मन में प्रचारक बनने की लालसा तीव्र हो गई। श्रीनानाजी देशमुख और श्री अशोक सिंघल दोनों बताते हैं कि वेदप्रकाशजी ने गोरखपुर क्षेत्र में शाखा विस्तार के लिए अनथक परिश्रम किए।

1948 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद वेदप्रकाशजी बनारस से अंबाला मां के पास आ गए। नौकरी की तलाश में लग गए। देश में स्वतंत्रता आंदोलन की लडाई निर्णायक स्थिति में पहुंच गई थी। भारत के विभाजन की तैयारी हो गई थी। पूर्वी पंजाब में उन दिनों कोई उद्योग नहीं था। 1948 का वर्ष सचमुच कठिन था। पूरा वर्ष भूमिगत रह कर बीता। ■

पृष्ठ 5 का शेष....

अलकायदा के सदस्य होने का संदेह था, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया अपनाए हुए यूएस की एफबीआई को सौंप दिए, परन्तु उसने एक भी पाकिस्तानी अपराधी को भारत को मुकदमा चलाने के लिए नहीं सौंपा।

भाजपा इस बारे में पूर्व–चेतावनी देना चाहती है कि यूपीए सरकार को आतंकवाद से लड़ने के लिए पाकिस्तान पर ज्यादह भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादियों और अपने संगठनों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करने की जरा भी रूचि नहीं रखता है।

भारत को आतंकवाद को निश्चित रूप से पराजित करने के लिए आम सहमति और कूटनीतिक कौशल के आधार पर एक समन्वित कार्ययोजना बनाना आवश्यक है। भारत के पास अब यही अवसर है कि वह पाकिस्तान द्वारा सही ढंग से आतंकवाद पर कार्रवाई न कर पाने तथा उसके लम्बे इतिहास को देखते हुए पाकिस्तान को कठघरे में खड़ा कर दे।

मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि आज पाकिस्तान विश्व का प्रमुख आतंकवादी केन्द्र बन गया है। यदि पाकिस्तान यों ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं की अनदेखी करता रहेगा और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के निर्देशों का उल्लंघन करता रहेगा तो भारत को विश्व समुदाय और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए एकजुट करना होगा। ■

पृष्ठ 16 का शेष...

के बीच अपना एक मुकाम बनाने की चाहत और पार्टी के उपकारों का बदला चुकाने के लिए उन्हें कुछ न कुछ तो करना ही था। सो, उन्हें यही मुफीद लगा।

लेकिन हकीकत यह है कि मुसलिम जनमानस अंतुले जैसे मतलबपरस्त नेताओं की वास्तविकता जानता है। उसे वोटों के सौदागर अब वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। सच तो यह है कि जबसे अंतुले मंत्री बने हैं, मुसलिम तबके को नुकसान ही उठाना पड़ा है। उदाहरण के तौर पर, उनके मंत्रालय में वक्फ बोर्ड, मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह कमेटी आदि जैसे महत्वपूर्ण इदारे आते हैं, मगर इनके द्वारा मुसलिम अवाम का अब तक कोई भला नहीं किया गया। खुद मुसलिम समाज भी अंतुले जैसे छवि और जनाधार विहीन राजनेताओं की असलियत जानता है। शबाना आजमी और आमिर खान जैसी शख्सीयतों ने अंतुले की जैसी तीखी आलोचना की है, वही बताने के लिए काफी है कि चुनाव के पहले अल्पसंख्यक समुदाय का मसीहा बनने की उनकी रणनीति परवान नहीं चढ़ने वाली। गौरतलब है कि शबाना आजमी और आमिर खान, दोनों उसी मुंबई के हैं, जहां की राजनीति अंतुले करते हैं। इन दोनों की छवि के मुकाबले अंतुले कहीं नहीं ठहरते। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि अंतुले जी हिंदू–मुसलिम आतंकवाद के चक्कर में न पड़ें। देश को धार्मिक आधार पर बांटने का कुप्रयास भी वह जितनी जल्दी छोड़ें, उतना ही अच्छा। उन्हें चाहिए कि वह अल्पसंख्यक मंत्रालय को किसी अच्छे, सच्चे, ईमानदार व्यक्ति के लिए छोड़ दें। उनके लिए अच्छा यह भी होगा कि अल्पसंख्यक वोटों के जुगाड़ में पड़ने के बजाय वह अल्लाह का नाम लें और हमारे जैसे गुनहगार व्यक्तियों की तरह अल्लाह से अपने किए हुए गुनाहों की माफी मांगें। वैसे में, हो सकता है कि अल्लाह उन्हें माफ कर दे।■

(लेखक वरिष्ठ टिप्पणीकार एवं मौलाना आजाद के पौत्र हैं)